



उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ
पिकप भवन, तृतीय तल, विभूति खण्ड, गोमती नगर
लखनऊ – 226010

वेबसाइट- upsssc.gov.in

ई-मेल : online.upsssc@nic.in

विज्ञापन संख्या-22-परीक्षा/2026

खेल निदेशालय मुख्य परीक्षा (प्रा0अ0प0-2025)/22

विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि	30-09-2026
पंजीकरण/ऑनलाइन आवेदन/शुल्क जमा करने की प्रारम्भिक तिथि	14-10-2026
पंजीकरण/शुल्क जमा करने/ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि	04-11-2026
शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि	11-11-2026

विशेष कथन- उपर्युक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करने व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 04-11-2026 है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन/शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी के द्वारा अपने आवेदन-पत्र का प्रिंटआउट तब तक नहीं निकाला जा सकेगा, जब तक कि उसके द्वारा जमा शुल्क का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता। अतः अभ्यर्थी के द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन दिनांक 04-11-2026 तक अथवा उसके पश्चात विलम्बतम 07 दिवस के अन्दर अर्थात् दिनांक 11-11-2026 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन-पत्र में अनुमन्य विवरण को संशोधित भी किया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ के विज्ञापन संख्या-22-परीक्षा/2026, खेल निदेशालय मुख्य परीक्षा (प्रा0अ0प0-2025)/22 के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कुल रिक्त 108 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

विज्ञापन संख्या-22-परीक्षा/2026, खेल निदेशालय मुख्य परीक्षा (प्रा0अ0प0-2025)/22 हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो विज्ञापित पद हेतु वांछित अनिवार्य अर्हता धारित करते हों तथा प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 (Preliminary Eligibility Test- PET-2025) में सम्मिलित हुए हों एवं उन्हें आयोग द्वारा प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 का स्कोर कार्ड निर्गत किया गया हो। मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शार्टलिस्टिंग उनके प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 (Preliminary Eligibility Test-PET 2025) के नार्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर मेरिट के अनुसार की जाएगी तथा शार्टलिस्ट किए गये अभ्यर्थियों को ही मुख्य परीक्षा में प्रतिभाग करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 में वास्तविक (Absolute) स्कोर अथवा नार्मलाइज्ड स्कोर में शून्य या उससे कम/नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु शार्टलिस्ट नहीं किया जाएगा।

परन्तु यह कि प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा 2025 के परिणाम में आयोग स्तर से जांच के अधीन (Under Investigation-UI) व औपबन्धिक (Provisional) चिन्हित किए गये अभ्यर्थियों के प्रकरणों के सम्बन्ध में जब तक आयोग स्तर से अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता तब तक इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों को भी आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न मुख्य परीक्षाओं में आवेदन की औपबन्धिक रूप से अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि ऐसे अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा हेतु शार्टलिस्टिंग व चयन सम्बन्धी अग्रेतर कार्यवाही आयोग द्वारा की जा रही जांच के परिणाम / निर्णय के अधीन होगी।

21/09/26

1-ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना- इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रणाली (Online Application System) लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अतः अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट upsssc.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें।

2-ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया- अभ्यर्थी, आयोग की वेबसाइट upsssc.gov.in के Homepage पर Live Advertisement Segment के अंतर्गत सम्बन्धित विज्ञापन पर क्लिक कर उक्त विज्ञापन को Download/View कर सकते हैं। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन-पत्र भरने के लिए समस्त प्रक्रियाएँ एक बार में ही पूर्ण की जा सकती हैं। आवेदन की प्रक्रिया (Application Process) में अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन भरने से सम्बन्धित दिशा-निर्देश नीचे दिये जा रहे हैं। अतः अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व आवेदन की प्रक्रिया (Application Process) को सावधानीपूर्वक पढ़कर भली-भांति समझ लें।

2.1 अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़ें और भली-भांति समझ लें कि वे विज्ञापित पद/पदों हेतु वांछित अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) व अन्य अर्हताएं धारित करते हैं तथा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आते हैं। अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित/ निर्धारित अर्हता एवं शैक्षिक योग्यता धारण करने पर ही आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ करें।

2.2 अभ्यर्थी को आवेदन की अंतिम तिथि (04-11-2026) तक सम्बन्धित आवश्यक अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) व अन्य अर्हता/ अर्हताएं तथा तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र धारित (Acquire/Possess) करना अनिवार्य है।

2.3 आरक्षण/आयु सीमा में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी सम्बन्धित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के परिशिष्ट में मुद्रित तथा वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र/आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र, जो आवेदन की तिथि तक अथवा विज्ञापन में उल्लिखित आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया गया हो, अवश्य प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाए तब उन्हें उक्त प्रमाण पत्र आयोग में प्रस्तुत करना होगा।

2.4 जो आवेदक आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन के इच्छुक हैं, उन आवेदकों से अपेक्षित है कि वह आवेदन करने से पूर्व दिनांक 01-04-2026 से 04-11-2026 (आवेदन की अंतिम तिथि) के मध्य निर्गत EWS प्रमाण पत्र, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 की आय पर आधारित हो तथा वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु मान्य हो, को धारित करना सुनिश्चित करें। इस श्रेणी के आवेदकों को उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप सं0-3/2019/4/1/2002/का-2/19 टी.सी.-II, दिनांक 14-03-2019 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। (कृपया विज्ञापन के प्रस्तर 11.15 का अवलोकन करें)।

2.5 अभ्यर्थियों को अभिलेख परीक्षण के समय पदों की वरीयता का विकल्प देना होगा। आयोग अभ्यर्थियों द्वारा दी गयी वरीयता के आधार (पद की उपलब्धता, श्रेष्ठता, पद की शैक्षिक अर्हता व आयु सीमा का संज्ञान लेते हुए) पर यथा संभव पदों आवंटित करने का प्रयास करेगा किन्तु इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

2.6 विज्ञापित पदों के लिए केवल एक ही आवेदन करना है।

आवेदन प्रक्रिया सम्बन्धी निर्देश

2.7- प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अभ्यर्थी का प्रमाणीकरण/ लॉगिन (Applicant Authentication/Login Through PET Registration Number)- अभ्यर्थी को प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 के रजिस्ट्रेशन नंबर के सापेक्ष पंजीकृत मोबाइल नंबर/ ईमेल पर प्रेषित किये गये O.T.P. के माध्यम से लॉगिन करना होगा।

21/5/2024

ks

8

9

2.8 आवेदन(Application)-

- I. लॉगिन करने के उपरान्त इस भाग में अभ्यर्थी को प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 में दर्ज की गयी अपनी व्यक्तिगत सूचनाएं जैसे- नाम, पिता/पति का नाम, माता का नाम, उत्तर प्रदेश का निवासी होने सम्बन्धी विवरण, श्रेणी, EWS, क्षेत्रीय आरक्षण से सम्बन्धित विवरण, जन्मतिथि, लिंग, वैवाहिक प्रस्थिति, सम्पर्क हेतु मोबाइल नंबर, ईमेल आदि विवरण स्वतः प्रदर्शित होंगे।
- II. इस भाग में अभ्यर्थी को विज्ञापित किये गये पद/ पदों का विवरण प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी जिन पद/ पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं उन पद/पदों को चयनित (Select) करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी जिन पद/पदों को चयनित (Select) नहीं करेंगे, उक्त पद हेतु उनका दावा स्वीकार/ मान्य नहीं होगा।
नोट- अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़ें और भली-भांति समझ लें कि वे विज्ञापित पद/पदों हेतु वांछित अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) व अन्य अर्हताएं धारित करते हैं तथा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आते हैं। अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित निर्धारित अर्हता एवं शैक्षिक योग्यता धारित करने पर ही सम्बन्धित पद / पदों को Select करते हुए आवेदन करें।
- III. अभ्यर्थी को चयनित (Select) पद/ पदों हेतु शैक्षिक योग्यता धारण करने के सम्बन्ध में Yes/No विकल्प का चयन करने के उपरान्त बोर्ड/संस्था/विश्वविद्यालय का नाम, उत्तीर्ण करने का वर्ष, सर्टिफिकेट/ रोल नं०, अर्हता सम्बन्धी प्रमाणपत्र जारी करने की तिथि तथा प्राप्तांक सम्बन्धी विवरण आदि अंकित किया जाना होगा।
- IV. अभ्यर्थी को उपर्युक्त सूचनाएं भरने के पश्चात रजिस्ट्रेशन पेज पर नीचे की ओर “**Enter Verification Code**” में दिखाये गये वेरिफिकेशन कोड की प्रविष्टि करने के पश्चात “**सबमिट**” बटन को क्लिक करना होगा। सबमिट बटन क्लिक करने के पश्चात “**अभ्यर्थी का आवेदन-पत्र**” प्रदर्शित होगा, जिसमें 11 अंको की पंजीकरण संख्या सहित अन्य विवरण अंकित होगा। अभ्यर्थी इसकी एक प्रति मुद्रित कर अपने पास सुरक्षित रखें, जिसे आवश्यकता पड़ने पर प्रस्तुत करना होगा।

2.9 फोटो तथा हस्ताक्षर (Photo and Signature)-

इस भाग में अभ्यर्थी द्वारा प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 में अपलोड की गयी फोटो तथा हस्ताक्षर स्वतः प्रदर्शित होंगे। अभ्यर्थी द्वारा इसमें कोई संशोधन अथवा परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। अभ्यर्थी, फोटो तथा हस्ताक्षर View करने के उपरान्त “**Continue**” बटन को क्लिक करते ही अगले पृष्ठ पर चले जायेंगे।

2.10 अन्य विवरण (Other Details)

इस भाग में अभ्यर्थी को अधिमानी अर्हता (यदि कोई हो तो) के सम्बन्ध में Yes/No विकल्प को चयनित करना होगा। इस भाग में अभ्यर्थी द्वारा प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 में दर्ज किया गया स्थायी व पत्राचार का पता भी स्वतः प्रदर्शित होगा।

2.11 घोषणा (Declaration)-

वेब पेज के निचले हिस्से में अभ्यर्थी द्वारा की जाने वाली घोषणा का प्रारूप प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी से यह अपेक्षा है कि वह घोषणा-पत्र की अंतर्वस्तु का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लें तथा यदि घोषणा-पत्र से सहमत हो तो सभी बिन्दुओं को सेलेक्ट (Checkbox को Tick) करते हुए नीचे दिये गये वेरिफिकेशन कोड को दर्ज कर Save and Submit बटन को क्लिक करते हुये शुल्क भुगतान सम्बन्धी प्रक्रिया पूर्ण की जानी होगी।

नोट:- अभ्यर्थियों से यह भी अपेक्षित है कि उनके द्वारा आवेदन-पत्र में भरी गयी समस्त प्रविष्टियों का भली-भांति पुनः परीक्षण कर सही पाये जाने के उपरान्त ही आवेदन-पत्र को अंतिम रूप से सबमिट करें।

2.12- फीस का भुगतान एवं समायोजन तथा एप्लीकेशन फार्म सबमिशन (Fee Payment and Reconciliation & Application Form Submission)

I. अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान **Credit card/Debit card/ Internet Banking/ UPI** या **SBI** के ई-चालान के माध्यम से वेबसाइट पर दिये गये निर्देशों का पालन करते हुये कर सकते हैं। किसी अन्य माध्यम से निर्धारित शुल्क का भुगतान करने की अनुमति नहीं है। शुल्क का सफल भुगतान/समायोजन होते ही अभ्यर्थी का आवेदन-पत्र स्वतः सबमिट हो जायेगा एवं स्क्रीन पर अभ्यर्थी का आवेदन-पत्र प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी अपने आवेदन-पत्र को डाउनलोड व प्रिंट अवश्य कर लें।

II. कृपया ध्यान दें कि यदि अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा हेतु निर्धारित शुल्क का सफलतापूर्वक भुगतान होने के पश्चात भी आवेदन-पत्र प्रदर्शित नहीं हो रहा है तो इसका आशय यह है कि अभ्यर्थी के आवेदन के सापेक्ष निर्धारित परीक्षा शुल्क का समायोजन नहीं हो सका है। उक्त स्थिति में अभ्यर्थी सम्बन्धित विज्ञापन के सापेक्ष प्राप्त रजिस्ट्रेशन नंबर का प्रयोग करते हुए आयोग की वेबसाइट के **Homepage** पर **Applicant Segment** के अंतर्गत दिये गए विकल्प **“Update Your Transaction ID by Double Verification”** पर जाकर लॉगिन करेंगे एवं **Verify Transaction ID** बटन को क्लिक करने के उपरान्त शुल्क समायोजित करते हुये अपने आवेदन-पत्र को डाउनलोड व प्रिंट अवश्य कर लें।

III. शुल्क का भुगतान असफल होने पर आवेदन-पत्र के स्थान पर **Payment Acknowledgment Receipt (PAR)** प्रदर्शित होगी। उक्त स्थिति में अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट के **Homepage** पर **Applicant Segment** के अंतर्गत दिये गए विकल्प **“Update Your Transaction ID by Double Verification”** पर जाकर सम्बन्धित विज्ञापन के सापेक्ष प्राप्त रजिस्ट्रेशन नंबर का प्रयोग करते हुए लॉगिन करेंगे एवं **Verify Transaction ID** बटन को क्लिक करेंगे। तदुपरान्त आयोग की वेबसाइट के **Homepage** पर **Applicant Segment** के अंतर्गत दिये गए **Application Fee Deposition** विकल्प पर जाकर निर्धारित शुल्क का भुगतान करेंगे। शुल्क का सफल भुगतान/समायोजन होते ही अभ्यर्थी का आवेदन-पत्र स्वतः सबमिट हो जायेगा एवं स्क्रीन पर अभ्यर्थी का आवेदन-पत्र प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी अपने इस आवेदन-पत्र को डाउनलोड व प्रिंट अवश्य कर लें।

IV. यदि किसी तकनीकी समस्या व अन्य किसी कारण से अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान आवेदन करते समय नहीं कर पा रहे हैं तो वे शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि तक आयोग की वेबसाइट के **Homepage** पर **Applicant Segment** के अंतर्गत दिये गए विकल्प **“Update Your Transaction ID by Double Verification”** पर जाकर सम्बन्धित विज्ञापन के सापेक्ष प्राप्त रजिस्ट्रेशन नंबर का प्रयोग करते हुए लॉगिन एवं **Verify Transaction ID** बटन को क्लिक करेंगे। तदुपरान्त आयोग की वेबसाइट के **Homepage** पर **Applicant Segment** के अंतर्गत दिये गए **Application Fee Deposition** विकल्प पर जाकर निर्धारित शुल्क का भुगतान करेंगे।

V. ई-चालान के माध्यम से शुल्क का भुगतान करने हेतु अभ्यर्थी को **SBI** का ई-चालान download कर **SBI** की किसी भी शाखा में जाकर निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान करने के बाद अभ्यर्थी द्वारा **Applicant Segment** के अंतर्गत **Update Your Transaction ID by Double Verification Mode** के माध्यम से ई-चालान का विवरण भर कर शुल्क का समायोजन किया जाएगा।

VI. अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे विज्ञापन की अंतिम तिथि तक अथवा उससे एक सप्ताह के अंदर प्रत्येक दशा में अपने शुल्क का समायोजन कर अपने आवेदन-पत्र को डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट अवश्य प्राप्त कर लें। निर्धारित अंतिम तिथि के उपरान्त अभ्यर्थी शुल्क का समायोजन एवं आवेदन-पत्र का प्रिंटआउट प्राप्त नहीं कर सकेंगे। शुल्क के सफल भुगतान एवं समायोजन के उपरान्त ही अभ्यर्थी का फार्म अंतिम रूप से सबमिट हो सकेगा एवं तदुपरान्त अभ्यर्थी अपने आवेदन-पत्र को डाउनलोड व प्रिंट कर सकते हैं।

VII. अभ्यर्थी द्वारा **Applicant Segment** के अंतर्गत दिये गये **Applicant's Dashboard** पर जाकर प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 के रजिस्ट्रेशन नम्बर के माध्यम से भी लॉगिन कर शुल्क का भुगतान किया जा सकता है।

श्रीवती

Blue

8

9

VIII. अभ्यर्थी **Applicant Segment** के अंतर्गत दिये गये **Applicant's Dashboard** पर जाकर प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 के रजिस्ट्रेशन नम्बर के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन/आवेदन शुल्क का स्टेटस प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन शुल्क का स्टेटस Pending होने पर अभ्यर्थी **Applicant Segment** के अंतर्गत **Update Your Transaction ID by Double Verification Mode** के माध्यम से आवश्यक विवरण भरने के उपरान्त तुरन्त फार्म का अगला भाग पूर्ण कर सकते हैं।

IX. कृपया ध्यान दें कि अभ्यर्थी शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि के उपरांत शुल्क जमा नहीं कर पायेंगे और न ही उनका आवेदन अन्तिम रूप से स्वतः सबमिट हो सकेगा। अन्तिम तिथि के पश्चात इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा कोई भी प्रत्यावेदन अथवा दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों से यह भी अपेक्षित है कि शुल्क के सफल भुगतान/समायोजन के उपरान्त अपने आवेदन-पत्र को डाउनलोड व प्रिंट कर आवेदन-पत्र की समस्त प्रविष्टियों का परीक्षण अवश्य कर लें, तत्पश्चायत ही अपने आवेदन-पत्र को अंतिम रूप में सबमिट करें।

X. आवेदन शुल्क – अभ्यर्थियों से आवेदन के स्तर पर ऑनलाइन आवेदन हेतु मात्र ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क ही लिया जाएगा, जिसका श्रेणीवार विवरण नीचे दी गयी तालिका में अंकित है।

क्र. सं०	श्रेणी	आवेदन शुल्क	ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क	शुल्क योग (आवेदन शुल्क + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क)
1	अनारक्षित	00	25.00	25.00
2	अन्य पिछड़ा वर्ग	00	25.00	25.00
3	अनुसूचित जाति	00	25.00	25.00
4	अनुसूचित जनजाति	00	25.00	25.00

- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिक, महिला, दिव्यांगजन एवं उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क देय होगा।
- मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शार्टलिस्ट किये गये अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। मुख्य परीक्षा हेतु शार्टलिस्ट किये गये अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व किया जाएगा।

2.13- फार्म का प्रिंटआउट लेना (Print Application Form)-

शुल्क का सफल भुगतान/समायोजन होने के उपरान्त अभ्यर्थी का आवेदन स्वतः सबमिट हो जायेगा। अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे शुल्क का भुगतान करने के उपरांत अपना आवेदन-पत्र डाउनलोड व प्रिंट अवश्य कर लें। अभ्यर्थियों को अभिलेखों की संवीक्षा/परीक्षण के समय आवेदन-पत्र की प्रति आयोग द्वारा अपेक्षा किए जाने पर प्रस्तुत करनी होगी। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट के होमपेज पर उपलब्ध **Applicant's Dashboard** पर जाकर प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 के रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से लॉगिन कर अपने आवेदन का स्टेटस प्राप्त कर सकता है व अपना आवेदन-पत्र प्रिंट भी कर सकता है।

3- आवेदन-पत्र में संशोधन

- अभ्यर्थी का आवेदन अंतिम रूप से सबमिट होने के उपरान्त ही वे अपने आवेदन-पत्र में संशोधन कर सकते हैं। आवेदन-पत्र में संशोधन हेतु अभ्यर्थी को आयोग की वेबसाइट के होमपेज पर **Applicant Segment** के अंतर्गत दिये गये **Applicant's Dashboard** पर जाकर प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 के रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के उपरान्त अभ्यर्थी को सम्बन्धित विज्ञापन के सामने प्रदर्शित **Modify Application** बटन पर क्लिक कर वेरिफिकेशन कोड दर्ज करना होगा। तदुपरान्त अभ्यर्थी के

पंजीकृत मोबाइल नंबर/ Email पर एक OTP (One Time Password) जायेगा। इस OTP को सबमिट करने पर अभ्यर्थी का भरा हुआ फार्म प्रदर्शित होगा।

II. अभ्यर्थी द्वारा OTP (One Time Password) के माध्यम से लॉगिन करने के उपरांत अपने आवेदन पत्र के निम्नलिखित विवरणों को ही संशोधित किया जा सकता है। उक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी को आवेदन में किसी अन्य विवरण को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी-

- पत्राचार का पता।
- अन्य व्यक्तिगत विवरण जैसे- E.W.S. एवं क्षैतिज आरक्षण की श्रेणी (D.F.F, दिव्यांग/P.H., Ex. Service Men, लिंग (Gender), उत्कृष्ट खिलाड़ी आदि)।
- आवेदन में अनिवार्य/अधिमान्य अर्हता सम्बन्धी दर्ज किया गया विवरण।
- वैवाहिक प्रस्थिति।

विशेष नोट:- उत्तर प्रदेश शासन के दिव्यांगजन सशक्तिकरण अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-3/2021/324/2021/65-3-2021-78/99टी0सी0, दिनांक 30-07-2021, शासनादेश संख्या-02/2022/I/246279/2022/File No.65-3099/58/2022-3, दिनांक 09-12-2022, शासनादेश संख्या-3/2024/756713/2024/65-3-2024/65-3099/58/2022, दिनांक 30-09-2024, शासनादेश संख्या-2/2025/आई0/970754/2025/65-3099/58/2022, दिनांक 23-05-2025, शासनादेश संख्या-3/2025/आई/1038022/2025/65-3099/58/2022, दिनांक 25-07-2025 एवं शासनादेश संख्या-1/2026/I/1314725/2026/65-3099/58/2022, दिनांक 30-04-2026 द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं में दिव्यांगजन को समूह-क, ख, ग एवं घ में 04 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु पदों का पुनर्चिन्हांकन किया गया है। उक्त के क्रम में दिव्यांग अभ्यर्थियों को अपनी दिव्यांगता की श्रेणी के अनुसार आवेदन पत्र में दिव्यांगता की श्रेणी/उपश्रेणी को चिन्हांकित करते हुए अपडेट किया जाना अनिवार्य है।

III. आवेदन-पत्र में अनुमन्य संशोधन इस विज्ञापन में उल्लिखित संशोधन की अंतिम तिथि 11-11-2026 तक ही किया जा सकता है। आवेदन में संशोधन हेतु अभ्यर्थी पूर्णतः स्वयं उत्तरदायी होंगे अतः आवेदन पत्र को संशोधित करते समय अभ्यर्थी समस्त अंकित प्रविष्टियों को भली-भांति जाँच करने के उपरांत ही आवेदन-पत्र को सबमिट करें तथा संशोधित आवेदन-पत्र का प्रिंट अवश्य प्राप्त कर ले। संशोधन हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के उपरान्त आवेदन-पत्र में किसी भी दशा में संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा त्रुटि सुधार/ संशोधन हेतु पृथक से कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

4- पदों का विवरण-

उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-1/2020/1602/47-का-3-2019-13/7/2006, दिनांक 28-01-2020 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रेषित/ उपलब्ध कराये जाने वाले अध्याचनों में रिक्तियों की गणना एवं आरक्षण की पूर्ति की जिम्मेदारी पूर्णतः सम्बन्धित अध्याचनकर्ता विभाग की है।

उत्तर प्रदेश के राज्याधीन सेवा में अनुमन्य ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्थाओं/मानक के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक अनुभाग-2 द्वारा जारी शासनादेश संख्या-2/2025/2025/2005822/47-का-2-2025, दिनांक 30-12-2025 के क्रम में अध्याचनकर्ता विभाग द्वारा आयोग को प्रेषित अध्याचन/अध्याचनों में प्रस्तावित आरक्षण सम्बन्धी रिक्तियों का पुनः परीक्षण कर पुष्टि की गई है।

21/10/24

इस विज्ञापन में कुल विज्ञापित पदों व उनके सापेक्ष लम्बवत व क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत पदों की संख्या व विभिन्न श्रेणियों/ उपश्रेणियों का उल्लेख सम्बन्धित विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए अध्याचन में दिए गए विवरण के अनुसार ही किया गया है।

सूच्य है कि उत्तर प्रदेश शासन के लम्बवत व क्षैतिज आरक्षण सम्बन्धी नवीनतम अधिनियमों/अध्यादेशों / नियमों/ शासनादेशों में निर्धारित नीति/ निर्देशों के अनुरूप अनारक्षित/आरक्षित रिक्तियों की संख्या में संशोधन /परिवर्तन हो सकता है तथा विज्ञापित रिक्तियों की कुल संख्या व श्रेणीवार संख्या घट/बढ़ सकती है।

सारिणी-1

कुल विज्ञापित पदों की संख्या व उनके सापेक्ष लम्बवत आरक्षण का विवरण

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	लेवल/ वेतनमान/ वेतन बैण्ड/ ग्रेड-पे	अध्याचित कुल रिक्त पदों का आरक्षणवार विवरण					कुल पद	अभ्युक्ति स्थायी/ अस्थायी
				अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S)		
1	खेल निदेशालय, उत्तर प्रदेश	ग्राउण्ड्स मैन	लेवल-4, वेतनमान (न्यूनतम): 25500, वेतनमान (अधिकतम): 81100	01	01	00	00	00	02	स्थायी व अस्थायी
2	खेल निदेशालय, उत्तर प्रदेश	ग्राउण्ड्स मैन (विशेष चयन)	लेवल-4, वेतनमान (न्यूनतम): 25500, वेतनमान (अधिकतम): 81100	--	00	00	01	--	01	स्थायी व अस्थायी
3	खेल निदेशालय, उत्तर प्रदेश	उप क्रीड़ाधिकारी	लेवल-6, वेतनमान (न्यूनतम): 35400, वेतनमान (अधिकतम): 112400	17	10	01	11	05	44	स्थायी व अस्थायी
4	खेल निदेशालय, उत्तर प्रदेश	उप क्रीड़ाधिकारी (विशेष चयन)	लेवल-6, वेतनमान (न्यूनतम): 35400, वेतनमान (अधिकतम): 112400	--	03	00	03	--	06	अस्थायी

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	लेवल/ वेतनमान/ वेतन बैण्ड/ ग्रेड-पे	अधियाचित कुल रिक्त पदों का आरक्षणवार विवरण						अभ्युक्ति
				अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S)	कुल पद	
5	खेल निदेशालय, उत्तर प्रदेश	सहायक प्रशिक्षक (तैराकी)	लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 29200, वेतनमान (अधिकतम): 92300	10	06	00	06	02	24	अस्थायी
6	खेल निदेशालय, उत्तर प्रदेश	सहायक प्रशिक्षक (तैराकी) (विशेष चयन)	लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 29200, वेतनमान (अधिकतम): 92300	-	00	00	01	-	01	अस्थायी
7	खेल निदेशालय, उत्तर प्रदेश	जीवन रक्षक	लेवल-3, वेतनमान (न्यूनतम): 21700, वेतनमान (अधिकतम): 69100	07	03	00	04	01	15	स्थायी व अस्थायी
8	खेल निदेशालय, उत्तर प्रदेश	जीवन रक्षक (विशेष चयन)	लेवल-3, वेतनमान (न्यूनतम): 21700, वेतनमान (अधिकतम): 69100	--	00	00	03	--	03	अस्थायी
9	खेल निदेशालय, उत्तर प्रदेश	सहायक प्रशिक्षक (क्रिकेट)	लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 29200, वेतनमान (अधिकतम): 92300	01	00	00	00	00	01	स्थायी
10	खेल निदेशालय, उत्तर प्रदेश	सहायक प्रशिक्षक (फुटबाल)	लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 29200, वेतनमान (अधिकतम): 92300	01	00	00	00	00	01	स्थायी

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	लेवल/ वेतनमान/ वेतन बैण्ड/ ग्रेड-पे	अधियाचित कुल रिक्त पदों का आरक्षणवार विवरण						अभ्युक्ति
				अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S)	कुल पद	स्थायी/ अस्थायी
11	खेल निदेशालय, उत्तर प्रदेश	सहायक प्रशिक्षक (निशानेबाजी)	लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 29200, वेतनमान (अधिकतम): 92300	01	00	00	00	00	01	स्थायी
12	खेल निदेशालय, उत्तर प्रदेश	सहायक प्रशिक्षक (वेटलिफ्टिंग)	लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 29200, वेतनमान (अधिकतम): 92300	01	00	00	00	00	01	स्थायी
13	खेल निदेशालय, उत्तर प्रदेश	सहायक प्रशिक्षक (तलवार बाजी)	लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 29200, वेतनमान (अधिकतम): 92300	01	00	00	00	00	01	स्थायी
14	खेल निदेशालय, उत्तर प्रदेश	सहायक प्रशिक्षक (कुश्ती)	लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 29200, वेतनमान (अधिकतम): 92300	01	00	00	00	00	01	स्थायी
15	खेल निदेशालय, उत्तर प्रदेश	सहायक प्रशिक्षक (हॉकी)	लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 29200, वेतनमान (अधिकतम): 92300	01	01	00	00	00	02	स्थायी

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	लेवल/ वेतनमान/ वेतन बैण्ड/ ग्रेड-पे	अधियाचित कुल रिक्त पदों का आरक्षणवार विवरण						अभ्युक्ति
				अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S)	कुल पद	स्थायी/ अस्थायी
16	खेल निदेशालय, उत्तर प्रदेश	सहायक प्रशिक्षक (टेबल टेनिस)	लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 29200, वेतनमान (अधिकतम): 92300	01	00	00	00	00	01	स्थायी
17	खेल निदेशालय, उत्तर प्रदेश	सहायक प्रशिक्षक (हैण्डबाल)	लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 29200, वेतनमान (अधिकतम): 92300	01	00	00	00	00	01	स्थायी
18	खेल निदेशालय, उत्तर प्रदेश	सहायक प्रशिक्षक (बुशू)	लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 29200, वेतनमान (अधिकतम): 92300	01	00	00	00	00	01	स्थायी
19	खेल निदेशालय, उत्तर प्रदेश	सहायक प्रशिक्षक (लॉन टेनिस)	लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 29200, वेतनमान (अधिकतम): 92300	01	00	00	00	00	01	स्थायी

21/5/2017

[Signature]

[Signature]

[Signature]

सारिणी-2

कुल विज्ञापित पदों के सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण का विवरण

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	स्व0 संग्राम सेनानी के आश्रित	दिव्यांगजन / पद संख्या व विभाग द्वारा चिन्हांकित उप श्रेणियां					सैन्य वियोजित /भूतपूर्व सैनिक	महिला	उत्कृष्ट खिलाड़ी
				(क) दृष्टिहीनता एवं कम दृष्टिहीनता	(ख) बधिर और श्रवण शक्ति में ह्यास	(ग) प्रमस्तिष्कीय अंगघात, उपचारित कुष्ठ, बौनापन, एसिड आक्रमण पीड़ित और मांसपेशीय दुष्पोषण सहित चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्तता	(घ) स्वपरायणता, बौद्धिक निःशक्तता, विशिष्ट अधिगम निःशक्तता और मानसिक अस्वस्थता	(इ) खण्ड (क) से (घ) के अधीन आने वाले व्यक्तियों में से बहु निःशक्तता, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक निःशक्तता के लिए अभिज्ञानित पदों में बधिर-अंधता सम्मिलित है (MD)			
1	खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश	ग्राउण्ड्स मैन	00	00 (L.V.)	00 (H.H.)	00 (O.A.), (O.L.), (L.C.), (Dw.), (A.A.V.)	--	--	00	00	00
2	खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश	ग्राउण्ड्स मैन (विशेष चयन)	00	00 (L.V.)	00 (H.H.)	00 (O.A.), (O.L.), (L.C.), (Dw.), (A.A.V.)	--	--	00	00	00
3	खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश	उप क्रीड़ाधिकारी	00	01 (L.V.)	00 (H.H.)	00 (L.C.), (Dw.), (A.A.V.)	--	--	02	08	00
4	खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश	उप क्रीड़ाधिकारी (विशेष चयन)	00	00 (L.V.)	00 (H.H.)	00 (L.C.), (Dw.), (A.A.V.)	--	--	00	01	00
5	खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश	सहायक प्रशिक्षक (तैराकी)	00	00 (L.V.)	00 (H.H.)	00 (L.C.), (Dw.), (A.A.V.)	--	--	01	04	00

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	स्व0 संग्राम सेनानी के आश्रित	दिव्यांगजन / पद संख्या व विभाग द्वारा चिन्हांकित उप श्रेणियां					सैन्य वियोजित /भूतपूर्व सैनिक	महिला	उत्कृष्ट खिलाड़ी
				(क) दृष्टिहीनता एवं कम दृष्टिहीनता	(ख) बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास	(ग) प्रमस्तिष्कीय अंगघात, उपचारित कुष्ठ, बौनापन, एसिड आक्रमण पीड़ित और मांसपेशीय दुष्पोषण सहित चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्तता	(घ) स्वपरायणता, बौद्धिक निःशक्तता, विशिष्ट अधिगम निःशक्तता और मानसिक अस्वस्थता	(ङ) खण्ड (क) से (घ) के अधीन आने वाले व्यक्तियों में से बहु निःशक्तता, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक निःशक्तता के लिए अभिज्ञानित पदों में बधिर-अंधता सम्मिलित है (MD)			
6	खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश	सहायक प्रशिक्षक (तैराकी) (विशेष चयन)	00	00 (L.V.)	00 (H.H.)	00 (L.C.), (Dw.), (A.A.V.)	--	--	00	00	00
7	खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश	जीवन रक्षक	00	--	00 (D.), (H.H.)	00 (L.C.), (Dw.), (A.A.V.)	--	--	00	03	00
8	खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश	जीवन रक्षक (विशेष चयन)	00	--	00 (D.), (H.H.)	00 (L.C.), (Dw.), (A.A.V.)	--	--	00	00	00
9	खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश	सहायक प्रशिक्षक (क्रिकेट)	00	00 (L.V.)	00 (H.H.)	00 (L.C.), (Dw.), (A.A.V.)	--	--	00	00	00
10	खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश	सहायक प्रशिक्षक (फुटबाल)	00	00 (L.V.)	00 (H.H.)	00 (L.C.), (Dw.), (A.A.V.)	--	--	00	00	00
11	खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश	सहायक प्रशिक्षक (निशाने बाजी)	00	00 (L.V.)	00 (H.H.)	00 (L.C.), (Dw.), (A.A.V.)	--	--	00	00	00

21/01/21

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	स्व0 संग्राम सेनानी के आश्रित	दिव्यांगजन / पद संख्या व विभाग द्वारा चिन्हांकित उप श्रेणियां					सैन्य वियोजित /भूतपूर्व सैनिक	महिला	उत्कृष्ट खिलाड़ी
				(क) दृष्टिहीनता एवं कम दृष्टिहीनता	(ख) बधिर और श्रवण शक्ति में ह्यास	(ग) प्रमस्तिष्कीय अंगघात, उपचारित कुष्ठ, बौनापन, एसिड आक्रमण पीड़ित और मांसपेशीय दुष्पोषण सहित चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्तता	(घ) स्वपरायणता, बौद्धिक निःशक्तता, विशिष्ट अधिगम निःशक्तता और मानसिक अस्वस्थता	(ङ) खण्ड (क) से (घ) के अधीन आने वाले व्यक्तियों में से बहु निःशक्तता, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक निःशक्तता के लिए अभिज्ञानित पदों में बधिर-अंधता सम्मिलित है (MD)			
12	खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश	सहायक प्रशिक्षक (वेट लिफ्टिंग)	00	00 (L.V.)	00 (H.H.)	00 (L.C.), (Dw.), (A.A.V.)	--	--	00	00	00
13	खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश	सहायक प्रशिक्षक (तलवार बाजी)	00	00 (L.V.)	00 (H.H.)	00 (L.C.), (Dw.), (A.A.V.)	--	--	00	00	00
14	खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश	सहायक प्रशिक्षक (कुश्ती)	00	00 (L.V.)	00 (H.H.)	00 (L.C.), (Dw.), (A.A.V.)	--	--	00	00	00
15	खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश	सहायक प्रशिक्षक (हॉकी)	00	00 (L.V.)	00 (H.H.)	00 (L.C.), (Dw.), (A.A.V.)	--	--	00	00	00
16	खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश	सहायक प्रशिक्षक (टेबल टेनिस)	00	00 (L.V.)	00 (H.H.)	00 (L.C.), (Dw.), (A.A.V.)	--	--	00	00	00
17	खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश	सहायक प्रशिक्षक (हैण्ड बाल)	00	00 (L.V.)	00 (H.H.)	00 (L.C.), (Dw.), (A.A.V.)	--	--	00	00	00

21/5/2018

8

9

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	स्व0 संग्राम सेनानी के आश्रित	दिव्यांगजन / पद संख्या व विभाग द्वारा चिन्हांकित उप श्रेणियां					सैन्य वियोजित /भूतपूर्व सैनिक	महिला	उत्कृष्ट खिलाड़ी
				(क) दृष्टिहीनता एवं कम दृष्टिहीनता	(ख) बधिर और श्रवण शक्ति में हास	(ग) प्रमस्तिष्कीय अंगघात, उपचारित कुष्ठ, बौनापन, एसिड आक्रमण पीड़ित और मांसपेशीय दुष्पोषण सहित चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्तता	(घ) स्वपरायणता, बौद्धिक निःशक्तता, विशिष्ट अधिगम निःशक्तता और मानसिक अस्वस्थता	(ङ) खण्ड (क) से (घ) के अधीन आने वाले व्यक्तियों में से बहु निःशक्तता, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक निःशक्तता के लिए अभिज्ञानित पदों में बधिर-अंधता सम्मिलित है (MD)			
18	खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश	सहायक प्रशिक्षक (बुशू)	00	00 (L.V.)	00 (H.H.)	00 (L.C.), (Dw.), (A.A.V.)	--	--	00	00	00
19	खेल निदेशालय, उत्तर प्रदेश	सहायक प्रशिक्षक (लॉन टेनिस)	00	00 (L.V.)	00 (H.H.)	00 (L.C.), (Dw.), (A.A.V.)	--	--	00	00	00

दिव्यांगता की श्रेणी/ उपश्रेणी से सम्बन्धित विवरण

- L.V. (एल0वी0)-Low Vision (कम दृष्टि)
- D. (डी)- Deaf (बधिर)
- H.H. (एच0एच0)-Hard of Hearing (श्रवण शक्ति में हास)
- O.A. (ओ0ए0)- One Arm Affected (एक हाथ प्रभावित)
- O.L. (ओ0एल0)- One Leg Affected (एक पैर प्रभावित)
- L.C. (एल0सी0)- Leprosy Cured (रोगमुक्त कुष्ठ)
- Dw. (डीडब्लू0)- Dwarfism (बौनापन)
- A.A.V. (ए0ए0वी0)- Acid Attack Victims (एसिड आक्रमण पीड़ित)

5- आरक्षण सम्बन्धी प्रावधान –

5.1- उ० प्र० की अनुसूचित जातियों, उ० प्र० की अनुसूचित जनजातियों, उ० प्र० के अन्य पिछड़े वर्गों एवं उ० प्र० के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश सरकार के अद्यावधिक विद्यमान शासनादेशों/ विभाग से प्राप्त अध्याचन के अनुसार आरक्षण अनुमन्य होगा।

2/10/2019

- 5.2- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section- EWS) के अंतर्गत आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी, जिसके परिवार की समस्त स्रोतों (वेतन, कृषि, व्यापार व व्यवसाय आदि) से आवेदन करने के वर्ष के पूर्व के वित्तीय वर्ष की आय रुपये 08 लाख से कम है और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) को 10 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने सम्बन्धी उत्तर प्रदेश शासन विधायी अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-1577-79-वि-1-20-1(क)4-20, दिनांक 31 अगस्त, 2020 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2020 में विहित शर्तों को पूरा करते हैं, को 10% आरक्षण (EWS) अनुमन्य होगा। इस श्रेणी के आवेदकों द्वारा उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप सं0-3/2019/4/1/2002/का-2/19टी.सी.-II, दिनांक 14-03-2019 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
- 5.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों (Dependant of Freedom Fighter-DFF) तथा भूतपूर्व सैनिकों (Ex-Servicemen) को आरक्षण उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (यथा संशोधित) व अद्यतन सुसंगत नियमावली/शासनादेशों के प्राविधानानुसार अनुमन्य होगा।
- 5.4- उत्तर प्रदेश शासन के दिव्यांगजन सशक्तिकरण अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-3/2021/324/2021/65-3-2021-78/99टी0सी0, दिनांक 30-07-2021, शासनादेश संख्या-02/2022/I/246279/2022/File No.65-3099/58/2022-3, दिनांक 09-12-2022, शासनादेश संख्या-3/2024/756713/2024/65-3-2024/65-3099/58/2022, दिनांक 30-09-2024, शासनादेश संख्या-2/2025/आई0/970754/2025/65-3099/58/2022, दिनांक 23-05-2025, शासनादेश संख्या-3/2025/आई/1038022/2025/65-3099/58/2022, दिनांक 25-07-2025 एवं शासनादेश संख्या-1/2026/I/1314725/2026/65-3099/58/2022, दिनांक 30-04-2026 तथा कार्मिक अनुभाग 2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 5/2022/18/1/2008/47/का-2/2022 दिनांक 18-04-2022 एवं सुसंगत अधिनियम/नियमावली एवं अद्यतन शासनादेशों के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित आरक्षण अनुमन्य होगा।
- 5.5- महिला आरक्षण के अंतर्गत महिलाओं को उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-18/1/99/का-2/99, दिनांक 26-02-1999, यथासंशोधित कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-39 रिट/का-2 /2019, दिनांक 26 जून, 2019 में विहित व्यवस्थाओं के अनुसार आरक्षण अनुमन्य होगा। महिलाओं को प्रदत्त उक्त आरक्षण मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16-01-2019 के विरुद्ध उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दायर विशेष अपील (डी) संख्या-475/2019 में मा० न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगा। उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों को उन श्रेणियों में रखा जायेगा जिनसे वे सम्बन्धित है। उ० प्र० की महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
- 5.6- उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-3/47/का-2/2022, दिनांक 07-01-2022 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग (उत्कृष्ट खिलाड़ियों की समूह-ग के पदों पर सीधी भर्ती) नियमावली-2022 व अद्यतन सुसंगत शासनादेशों के प्राविधानानुसार उत्कृष्ट खिलाड़ियों (Outstanding Sportsperson) हेतु आरक्षण अनुमन्य होगा।

2/15001

Ku 8

9

6 - अर्हता-

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) एवं अधिमानी अर्हताएं
1	खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश	ग्राउण्ड्स मैन (सामान्य चयन व विशेष चयन)	<u>अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)</u>- उत्तर प्रदेश खेल-कूद निदेशालय अधीनस्थ प्राविधिक सेवा नियमावली, 1982 के भाग-4 नियम-8 के अनुसार सेवा में ग्राउण्ड्स मैन के पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी निम्न अर्हतायें रखता हो- (1) माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण-पत्र या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से उसके समकक्ष कोई अन्य प्रमाण-पत्र। (2) बाह्य और अन्तः कक्ष खेलों के लिए खेल के मैदानों/कोर्ट को तैयार और चिन्हित करने का व्यावहारिक अनुभव। (3) घासों की विभिन्न, किस्मों/गुलाब इत्यादि पौधों की कलम करने, फूलों और बीजों की किस्मों, बीजों की सुरक्षा और उनके बोने, प्रतिरोपित करने और कलम इत्यादि करने का ज्ञान। <u>अधिमानी अर्हता</u>- उत्तर प्रदेश खेल-कूद निदेशालय अधीनस्थ प्राविधिक सेवा नियमावली, 1982 के भाग-4 नियम-8 एवं 9 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा- i. जिसके पास ग्राउण्ड्समैन के रूप में कार्य करने का दो वर्ष अनुभव हो। ii. जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या iii. जिसने राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।
2	खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश	उप क्रीड़ाधिकारी (सामान्य चयन व विशेष चयन)	<u>अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)</u>- उत्तर प्रदेश खेलकूद निदेशालय अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1986 यथासंशोधित के भाग-4 नियम-8 के अनुसार सेवा में उपक्रीड़ाधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हतायें होनी चाहिये- i. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक। ii. सुसंगत खेल में प्रशिक्षण (कोचिंग) में नेता जी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला, बंगलोर, कोलकाता, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान त्रिवेन्द्रम, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर और नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला के समकक्ष ऐसे सभी संस्थान जो कि समय-समय पर भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो, से डिप्लोमा। (समकक्षता संबंधी निदेशक, खेल, उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय, लखनऊ का पत्र संख्या- आई/208274/अ0से0च0/स0प्र0/भर्ती, दिनांक- 14-07-2025 अभ्यर्थियों के सूचनार्थ संलग्नक-1 में संलग्न है।) iii. दो वर्ष का कोचिंग का अनुभव। <u>अधिमानी अर्हता</u>- उत्तर प्रदेश खेलकूद निदेशालय अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1986 यथासंशोधित के भाग-4 नियम-8 एवं 9 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा- i. जिसके पास खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने का एक वर्ष का अनुभव हो, ii. जिसके पास शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र हो, iii. जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या iv. जिसने राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।
3	खेल निदेशालय, उत्तर प्रदेश	सहायक प्रशिक्षक (तैराकी) (सामान्य चयन)	<u>अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)</u>- उत्तर प्रदेश खेलकूद निदेशालय अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1986 यथासंशोधित के भाग-4 नियम-8 के अनुसार सेवा में सहायक प्रशिक्षक (तैराकी) के पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हतायें होनी चाहिये- i. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक।

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) एवं अधिमानी अर्हताएं
		व विशेष चयन)	ii. सुसंगत खेल में प्रशिक्षण (कोचिंग) में नेता जी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला, बंगलोर, कोलकाता, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान त्रिवेन्द्रम, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर और नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला के समकक्ष ऐसे सभी संस्थान जो कि समय-समय पर भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो, से डिप्लोमा। (समकक्षता संबंधी निदेशक, खेल, उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय, लखनऊ का पत्र संख्या- आई/208273/अ0से0च0/स0प्र0/भर्ती, दिनांक- 14-07-2025 अभ्यर्थियों के सूचनार्थ संलग्नक-2 में संलग्न है।) III दो वर्ष का कोचिंग में अनुभव। <u>अधिमानी अर्हता</u>- उत्तर प्रदेश खेलकूद निदेशालय अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1986 यथासंशोधित के भाग-4 नियम-8 एवं 9 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा- I जिसके पास खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने का एक वर्ष का अनुभव हो, या II जिसके पास शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र हो, या III जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या IV जिसने राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।
4	खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश	जीवन रक्षक (सामान्य चयन व विशेष चयन)	<u>अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)</u>- उत्तर प्रदेश खेलकूद निदेशालय अधीनस्थ प्राविधिक सेवा नियमावली, 1982 के भाग-4 नियम-8 के अनुसार सेवा में जीवन रक्षक के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी निम्नलिखित अर्हताएं रखता हो- 1- माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण-पत्र या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से उसके समकक्ष कोई अन्य प्रमाण-पत्र। 2- जीवन रक्षक के रूप में कार्य करने का कम से कम तीन वर्ष का व्यावहारिक अनुभव। <u>अधिमानी अर्हता</u>- उत्तर प्रदेश खेलकूद निदेशालय अधीनस्थ प्राविधिक सेवा नियमावली, 1982 के भाग-4 नियम-9 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा जिसने:- (एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।
5	खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश	सहायक प्रशिक्षक (क्रिकेट)	<u>अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)</u>- उत्तर प्रदेश खेलकूद निदेशालय अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1986 यथासंशोधित के भाग-4 नियम-8 के अनुसार सेवा में सहायक प्रशिक्षक (क्रिकेट) के पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिये- i. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक। ii. सुसंगत खेल में प्रशिक्षण (कोचिंग) में नेता जी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला, बंगलोर, कोलकाता, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान त्रिवेन्द्रम, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर और नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला के समकक्ष ऐसे सभी संस्थान जो कि समय-समय पर भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो, से डिप्लोमा। (समकक्षता संबंधी निदेशक, खेल, उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय, लखनऊ का पत्र संख्या- आई/208273/अ0से0च0/ स0प्र0/भर्ती, दिनांक- 14-07-2025 अभ्यर्थियों के सूचनार्थ संलग्नक-2 में संलग्न है।) III दो वर्ष का कोचिंग में अनुभव। <u>अधिमानी अर्हता</u>- उत्तर प्रदेश खेलकूद निदेशालय अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1986 यथासंशोधित के भाग-4 नियम-8 एवं 9 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा- I जिसके पास खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने का एक वर्ष का अनुभव हो,

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) एवं अधिमानी अर्हताएं
			II जिसके पास शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र हो, III जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या IV जिसने राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।
6	खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश	सहायक प्रशिक्षक (फुटबाल)	<u>अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)</u>- उत्तर प्रदेश खेलकूद निदेशालय अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1986 यथासंशोधित के भाग-4 नियम-8 के अनुसार सेवा में सहायक प्रशिक्षक (फुटबाल) के पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हतायें होनी चाहिये- i. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक। ii. सुसंगत खेल में प्रशिक्षण (कोचिंग) में नेता जी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला, बंगलोर, कोलकाता, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान त्रिवेन्द्रम, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर और नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला के समकक्ष ऐसे सभी संस्थान जो कि समय-समय पर भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो, से डिप्लोमा।(समकक्षता संबंधी निदेशक, खेल, उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय, लखनऊ का पत्र संख्या- आई/208273/अ0से0च0/स0प्र0/भर्ती, दिनांक- 14-07-2025 अभ्यर्थियों के सूचनार्थ संलग्नक-2 में संलग्न है।) iii. दो वर्ष का कोचिंग में अनुभव। <u>अधिमानी अर्हता</u> उत्तर प्रदेश खेलकूद निदेशालय अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1986 यथासंशोधित के भाग-4 नियम-8 एवं 9 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा- I जिसके पास खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने का एक वर्ष का अनुभव हो, II जिसके पास शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र हो, III जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या IV जिसने राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।
7	खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश	सहायक प्रशिक्षक (निशानेबाजी)	<u>अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)</u>- उत्तर प्रदेश खेलकूद निदेशालय अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1986 यथासंशोधित के भाग-4 नियम-8 के अनुसार सेवा में सहायक प्रशिक्षक (निशानेबाजी) के पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हतायें होनी चाहिये- i. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक। ii. सुसंगत खेल में प्रशिक्षण (कोचिंग) में नेता जी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला, बंगलोर, कोलकाता, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान त्रिवेन्द्रम, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर और नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला के समकक्ष ऐसे सभी संस्थान जो कि समय-समय पर भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो, से डिप्लोमा।(समकक्षता संबंधी निदेशक, खेल, उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय, लखनऊ का पत्र संख्या- आई/208273/अ0से0च0/स0प्र0/भर्ती, दिनांक- 14-07-2025 अभ्यर्थियों के सूचनार्थ संलग्नक-2 में संलग्न है।) iii. दो वर्ष का कोचिंग में अनुभव। <u>अधिमानी अर्हता</u>- उत्तर प्रदेश खेलकूद निदेशालय अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1986 यथासंशोधित के भाग-4 नियम-8 एवं 9 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा- i. जिसके पास खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने का एक वर्ष का अनुभव हो, ii. जिसके पास शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र हो, iii. जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या iv जिसने राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) एवं अधिमानी अर्हताएं
8	खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश	सहायक प्रशिक्षक (वेटलिफ्टिंग)	<u>अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)</u>- उत्तर प्रदेश खेलकूद निदेशालय अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1986 यथासंशोधित के भाग-4 नियम-8 के अनुसार सेवा में सहायक प्रशिक्षक (वेटलिफ्टिंग) के पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हतायें होनी चाहिये- i. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक। ii. सुसंगत खेल में प्रशिक्षण (कोचिंग) में नेता जी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला, बंगलोर, कोलकाता, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान त्रिवेन्द्रम, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर और नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला के समकक्ष ऐसे सभी संस्थान जो कि समय-समय पर भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो, से डिप्लोमा। (समकक्षता संबंधी निदेशक, खेल, उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय, लखनऊ का पत्र संख्या- आई/208273/अ0से0च0/स0प्र0/भर्ती, दिनांक- 14-07-2025 अभ्यर्थियों के सूचनार्थ संलग्नक-2 में संलग्न है।) III दो वर्ष का कोचिंग में अनुभव। <u>अधिमानी अर्हता</u>- उत्तर प्रदेश खेलकूद निदेशालय अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1986 यथासंशोधित के भाग-4 नियम-8 एवं 9 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा- जिसके पास खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने का एक वर्ष का अनुभव हो, ii. जिसके पास शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र हो, iii. जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या iv जिसने राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।
9	खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश	सहायक प्रशिक्षक (तलवारबाजी)	<u>अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)</u>- उत्तर प्रदेश खेलकूद निदेशालय अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1986 यथासंशोधित के भाग-4 नियम-8 के अनुसार सेवा में सहायक प्रशिक्षक (तलवारबाजी) के पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हतायें होनी चाहिये- i. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक। ii. सुसंगत खेल में प्रशिक्षण (कोचिंग) में नेता जी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला, बंगलोर, कोलकाता, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान त्रिवेन्द्रम, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर और नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला के समकक्ष ऐसे सभी संस्थान जो कि समय-समय पर भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो, से डिप्लोमा। (समकक्षता संबंधी निदेशक, खेल, उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय, लखनऊ का पत्र संख्या- आई/208273/अ0से0च0/स0प्र0/भर्ती, दिनांक- 14-07-2025 अभ्यर्थियों के सूचनार्थ संलग्नक-2 में संलग्न है।) iii. दो वर्ष का कोचिंग में अनुभव। <u>अधिमानी अर्हता</u>- उत्तर प्रदेश खेलकूद निदेशालय अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1986 यथासंशोधित के भाग-4 नियम-8 एवं 9 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा- i. जिसके पास खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने का एक वर्ष का अनुभव हो, ii. जिसके पास शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र हो, iii. जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या iv जिसने राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) एवं अधिमानी अर्हताएं
10	खेल निदेशालय, उत्तर प्रदेश	सहायक प्रशिक्षक (कुश्ती)	<u>अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)</u>- उत्तर प्रदेश खेलकूद निदेशालय अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1986 यथासंशोधित के भाग-4 नियम-8 के अनुसार सेवा में सहायक प्रशिक्षक (कुश्ती) के पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हतायें होनी चाहिये- I किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक। II सुसंगत खेल में प्रशिक्षण (कोचिंग) में नेता जी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला, बंगलोर, कोलकाता, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान त्रिवेन्द्रम, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर और नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला के समकक्ष ऐसे सभी संस्थान जो कि समय-समय पर भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो, से डिप्लोमा। (समकक्षता संबंधी निदेशक, खेल, उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय, लखनऊ का पत्र संख्या-आई/208273/अ0से0च0/स0प्र0/भर्ती, दिनांक- 14-07-2025 अभ्यर्थियों के सूचनार्थ संलग्नक-2 में संलग्न है।) III दो वर्ष का कोचिंग में अनुभव। <u>अधिमानी अर्हता</u>- उत्तर प्रदेश खेलकूद निदेशालय अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1986 यथासंशोधित के भाग-4 नियम-8 एवं 9 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा- I जिसके पास खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने का एक वर्ष का अनुभव हो, II जिसके पास शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र हो, III जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या IV जिसने राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।
11	खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश	सहायक प्रशिक्षक (हॉकी)	<u>अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)</u>- उत्तर प्रदेश खेलकूद निदेशालय अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1986 यथासंशोधित के भाग-4 नियम-8 के अनुसार सेवा में सहायक प्रशिक्षक (हॉकी) के पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हतायें होनी चाहिये- I किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक। II सुसंगत खेल में प्रशिक्षण (कोचिंग) में नेता जी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला, बंगलोर, कोलकाता, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान त्रिवेन्द्रम, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर और नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला के समकक्ष ऐसे सभी संस्थान जो कि समय-समय पर भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो, से डिप्लोमा। (समकक्षता संबंधी निदेशक, खेल, उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय, लखनऊ का पत्र संख्या-आई/208273/अ0से0च0/स0प्र0/भर्ती, दिनांक- 14-07-2025 अभ्यर्थियों के सूचनार्थ संलग्नक-2 में संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।) III दो वर्ष का कोचिंग में अनुभव। <u>अधिमानी अर्हता</u>- उत्तर प्रदेश खेलकूद निदेशालय अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1986 यथासंशोधित के भाग-4 नियम-8 एवं 9 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा- I जिसके पास खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने का एक वर्ष का अनुभव हो, II जिसके पास शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र हो, III जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या IV जिसने राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।
12	खेल निदेशालय, उत्तर प्रदेश	सहायक प्रशिक्षक (टेबल टेनिस)	<u>अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)</u>- उत्तर प्रदेश खेलकूद निदेशालय अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1986 यथासंशोधित के भाग-4 नियम-8 के अनुसार सेवा में सहायक प्रशिक्षक (टेबल टेनिस) के पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हतायें होनी चाहिये- I किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक।

21/5/24

Ky

8

9

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) एवं अधिमानी अर्हताएं
			II सुसंगत खेल में प्रशिक्षण (कोचिंग) में नेता जी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला, बंगलोर, कोलकाता, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान त्रिवेन्द्रम, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर और नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला के समकक्ष ऐसे सभी संस्थान जो कि समय-समय पर भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो, से डिप्लोमा। (समकक्षता संबंधी निदेशक, खेल, उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय, लखनऊ का पत्र संख्या-आई/208273/अ0से0च0/स0प्र0/भर्ती, दिनांक- 14-07-2025 अभ्यर्थियों के सूचनार्थ संलग्नक-2 में संलग्न है।) III दो वर्ष का कोचिंग में अनुभव। <u>अधिमानी अर्हता-</u> उत्तर प्रदेश खेलकूद निदेशालय अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1986 यथासंशोधित के भाग-4 नियम-8 एवं 9 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा- I जिसके पास खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने का एक वर्ष का अनुभव हो, II जिसके पास शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र हो, III जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या IV जिसने राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।
13	खेल निदेशालय, उत्तर प्रदेश	सहायक प्रशिक्षक (हैण्डबाल)	<u>अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)-</u> उत्तर प्रदेश खेलकूद निदेशालय अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1986 यथासंशोधित के भाग-4 नियम-8 के अनुसार सेवा में सहायक प्रशिक्षक (हैण्डबाल) के पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हतायें होनी चाहिये- I किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक। II सुसंगत खेल में प्रशिक्षण (कोचिंग) में नेता जी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला, बंगलोर, कोलकाता, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान त्रिवेन्द्रम, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर और नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला के समकक्ष ऐसे सभी संस्थान जो कि समय-समय पर भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो, से डिप्लोमा। (समकक्षता संबंधी निदेशक, खेल, उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय, लखनऊ का पत्र संख्या-आई/208273/अ0से0च0/स0प्र0/भर्ती, दिनांक- 14-07-2025 अभ्यर्थियों के सूचनार्थ संलग्नक-2 में संलग्न है।) III दो वर्ष का कोचिंग में अनुभव। <u>अधिमानी अर्हता-</u> उत्तर प्रदेश खेलकूद निदेशालय अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1986 यथासंशोधित के भाग-4 नियम-8 एवं 9 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा- I जिसके पास खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने का एक वर्ष का अनुभव हो, II जिसके पास शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र हो, III जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या IV जिसने राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।
14	खेल निदेशालय, उत्तर प्रदेश	सहायक प्रशिक्षक (बुशू)	<u>अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)-</u> उत्तर प्रदेश खेलकूद निदेशालय अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1986 यथासंशोधित के भाग-4 नियम-8 के अनुसार सेवा में सहायक प्रशिक्षक (बुशू) के पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हतायें होनी चाहिये- I किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक। II सुसंगत खेल में प्रशिक्षण (कोचिंग) में नेता जी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला, बंगलोर, कोलकाता, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान त्रिवेन्द्रम, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर और नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला के समकक्ष ऐसे सभी संस्थान जो कि समय-समय पर भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो, से डिप्लोमा। (समकक्षता संबंधी निदेशक, खेल, उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय, लखनऊ का पत्र संख्या-

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) एवं अधिमानी अर्हताएं
			आई/208273/अ0से0च0/स0प्र0/भर्ती, दिनांक- 14-07-2025 अभ्यर्थियों के सूचनार्थ संलग्नक-2 में संलग्न है।) III दो वर्ष का कोचिंग में अनुभव। अधिमानी अर्हता- उत्तर प्रदेश खेलकूद निदेशालय अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1986 यथासंशोधित के भाग-4 नियम-8 एवं 9 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा- I जिसके पास खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने का एक वर्ष का अनुभव हो, II जिसके पास शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र हो, III जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या III जिसने राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।
15	खेल निदेशालय, उत्तर प्रदेश	सहायक प्रशिक्षक (लॉन टेनिस)	अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)- उत्तर प्रदेश खेलकूद निदेशालय अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1986 यथासंशोधित के भाग-4 नियम-8 के अनुसार सेवा में सहायक प्रशिक्षक (लॉन टेनिस) के पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हतायें होनी चाहिये- I किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक। II सुसंगत खेल में प्रशिक्षण (कोचिंग) में नेता जी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला, बंगलोर, कोलकाता, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान त्रिवेन्द्रम, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर और नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला के समकक्ष ऐसे सभी संस्थान जो कि समय-समय पर भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो, से डिप्लोमा। (समकक्षता संबंधी निदेशक, खेल, उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय, लखनऊ का पत्र संख्या- आई/208273/अ0से0च0/स0प्र0/भर्ती, दिनांक- 14-07-2025 अभ्यर्थियों के सूचनार्थ संलग्नक-2 में संलग्न है।) III दो वर्ष का कोचिंग में अनुभव। अधिमानी अर्हता- उत्तर प्रदेश खेलकूद निदेशालय अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1986 यथासंशोधित के भाग-4 नियम-8 एवं 9 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा- I जिसके पास खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने का एक वर्ष का अनुभव हो, II जिसके पास शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र हो, III जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या IV जिसने राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

7- आयु -

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	आयु की गणना की निर्णायक तिथि/ आयु की उच्च सीमा व निम्न सीमा में शिथिलता (यदि है)
1	खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश	ग्राउण्ड्स मैन (सामान्य चयन व विशेष चयन)	सेवा में ग्राउण्ड्स मैन के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु जिस वर्ष भर्ती की जाय, उस वर्ष की पहली जनवरी को, यदि पद पहली जनवरी से 30 जून की अवधि में विज्ञापित किये जायें और पहली जुलाई को, यदि पद पहली जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि में विज्ञापित किये जायें, 18 वर्ष की हो जानी चाहिये और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाये, अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

21/07/25

कु

8

9

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	आयु की गणना की निर्णायक तिथि/ आयु की उच्च सीमा व निम्न सीमा में शिथिलता (यदि है)
2	खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश	उप क्रीड़ाधिकारी (सामान्य चयन व विशेष चयन)	सेवा में उपक्रीड़ाधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु उस कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई को जिस वर्ष सीधी भर्ती के लिये रिक्तियां आयोग द्वारा विज्ञापित की जायें, 21 वर्ष की हो जानी चाहिये और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाये, अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय। परन्तु यह और कि ऐसे व्यक्तियों के मामले में, जो पहले से सरकारी सेवा में हों, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी उसने सरकारी सेवा की हो।
3	खेल निदेशालय, उत्तर प्रदेश	सहायक प्रशिक्षक (तैराकी) (सामान्य चयन व विशेष चयन)	सेवा में सहायक प्रशिक्षक (तैराकी) के पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु उस कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई को जिस वर्ष सीधी भर्ती के लिये रिक्तियां आयोग द्वारा विज्ञापित की जायें, 21 वर्ष की हो जानी चाहिये और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाये, अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय। परन्तु यह और कि ऐसे व्यक्तियों के मामले में, जो पहले से सरकारी सेवा में हों, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी उसने सरकारी सेवा की हो।
4	खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश	जीवन रक्षक (सामान्य चयन व विशेष चयन)	सेवा में जीवन रक्षक के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु जिस वर्ष भर्ती की जाय, उस वर्ष की पहली जनवरी को, यदि पद पहली जनवरी से 30 जून कि अवधि में विज्ञापित किये जायें और पहली जुलाई को, यदि पद पहली जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि में विज्ञापित किये जाये, 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।
5	खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश	सहायक प्रशिक्षक (क्रिकेट)	सेवा में सहायक प्रशिक्षक (क्रिकेट) के पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु उस कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई को जिस वर्ष सीधी भर्ती के लिये रिक्तियां आयोग द्वारा विज्ञापित की जायें, 21 वर्ष की हो जानी चाहिये और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाये, अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय। परन्तु यह और कि ऐसे व्यक्तियों के मामले में, जो पहले से सरकारी सेवा में हों, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी उसने सरकारी सेवा की हो।
6	खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश	सहायक प्रशिक्षक (फुटबाल)	सेवा में सहायक प्रशिक्षक (फुटबाल) के पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु उस कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई को जिस वर्ष सीधी भर्ती के लिये रिक्तियां आयोग द्वारा विज्ञापित की जायें, 21 वर्ष की हो जानी चाहिये और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाये, अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय। परन्तु यह और कि ऐसे व्यक्तियों के मामले में, जो पहले से सरकारी सेवा में हों, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी उसने सरकारी सेवा की हो।

2/07/17

Ky

2

4

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	आयु की गणना की निर्णायक तिथि/ आयु की उच्च सीमा व निम्न सीमा में शिथिलता (यदि है)
12	खेल निदेशालय, उत्तर प्रदेश	सहायक प्रशिक्षक (टेबल टेनिस)	सेवा में सहायक प्रशिक्षक (टेबल टेनिस) के पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु उस कैलेंडर वर्ष की पहली जुलाई को जिस वर्ष सीधी भर्ती के लिये रिक्तियां आयोग द्वारा विज्ञापित की जायें, 21 वर्ष की हो जानी चाहिये और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाये, अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय। परन्तु यह और कि ऐसे व्यक्तियों के मामले में, जो पहले से सरकारी सेवा में हों, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी उसने सरकारी सेवा की हो।
13	खेल निदेशालय, उत्तर प्रदेश	सहायक प्रशिक्षक (हैण्डबाल)	सेवा में सहायक प्रशिक्षक (हैण्डबाल) के पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु उस कैलेंडर वर्ष की पहली जुलाई को जिस वर्ष सीधी भर्ती के लिये रिक्तियां आयोग द्वारा विज्ञापित की जायें, 21 वर्ष की हो जानी चाहिये और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाये, अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय। परन्तु यह और कि ऐसे व्यक्तियों के मामले में, जो पहले से सरकारी सेवा में हों, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी उसने सरकारी सेवा की हो।
14	खेल निदेशालय, उत्तर प्रदेश	सहायक प्रशिक्षक (वुशू)	सेवा में सहायक प्रशिक्षक (वुशू) के पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु उस कैलेंडर वर्ष की पहली जुलाई को जिस वर्ष सीधी भर्ती के लिये रिक्तियां आयोग द्वारा विज्ञापित की जायें, 21 वर्ष की हो जानी चाहिये और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाये, अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय। परन्तु यह और कि ऐसे व्यक्तियों के मामले में, जो पहले से सरकारी सेवा में हों, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी उसने सरकारी सेवा की हो।
15	खेल निदेशालय, उत्तर प्रदेश	सहायक प्रशिक्षक (लॉन टेनिस)	सेवा में सहायक प्रशिक्षक (लॉन टेनिस) के पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु उस कैलेंडर वर्ष की पहली जुलाई को जिस वर्ष सीधी भर्ती के लिये रिक्तियां आयोग द्वारा विज्ञापित की जायें, 21 वर्ष की हो जानी चाहिये और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाये, अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय। परन्तु यह और कि ऐसे व्यक्तियों के मामले में, जो पहले से सरकारी सेवा में हों, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी उसने सरकारी सेवा की हो।

8-चयन का आधार –

प्रश्नगत पदों पर चयन की कार्यवाही उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-32/2015/857/47-का-3-2015-13/19/2015, दिनांक- 11-05-2015 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश समूह 'ग' के पदों के सीधी भर्ती (रीति और प्रक्रिया) नियमावली, 2015, उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-4/2017/1/1/2017-का-2, दिनांक- 31 अगस्त, 2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश अवर स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती (साक्षात्कार बन्द किया जाना) नियमावली, 2017 एवं उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-1103/47-का-3-2020-13/17/2020, दिनांक- 20-11-2020 द्वारा अपनायी गयी नवीन आवेदन प्रक्रिया एवं द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली

2/10/2020

के अनुसार (जिसके अंतर्गत मुख्य परीक्षा के लिए वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है जो आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो) तथा उत्तर प्रदेश खेलकूद निदेशालय अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1986 यथासंशोधित एवं निदेशक, खेल, उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय, लखनऊ का पत्र संख्या- आई/208273/ अ0से0च0/स0प्र0/भर्ती, दिनांक- 14-07-2025 व पत्र संख्या- आई/208274/ अ0से0च0/स0प्र0/भर्ती, दिनांक- 14-07-2025 के अनुसार की जायेगी, जिसके अनुसार चयन का आधार लिखित परीक्षा है। लिखित परीक्षा हेतु शासन के पत्र संख्या-483/47-का-3-2026, दिनांक-30-06-2026 द्वारा अनुमोदित परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम अभ्यर्थियों के सूचनार्थ प्रस्तर-9 में उल्लिखित है। परीक्षा तिथि के संबंध में यथासमय सूचित किया जायेगा।

9-लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम-

लिखित परीक्षा में एक प्रश्नपत्र होगा, जिसमें कुल 100 प्रश्न होंगे तथा समयावधि दो घण्टा होगी। परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंकन (निगेटिव मार्किंग) का प्रावधान है, जो उस प्रश्न हेतु निर्धारित अंक का 25 प्रतिशत अर्थात् $\frac{1}{4}$ होगी।

परीक्षा योजना

परीक्षा के भाग, विषय, प्रश्नों की संख्या, कुल अंक और समयावधि नीचे दिये गये विवरण के अनुसार होगा-

भाग	विषय	प्रश्नों की संख्या	कुल अंक	समयावधि
भाग-1	1) भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन	04	04	दो घण्टा (120 मिनट)
	2) भारत एवं विश्व का भूगोल	04	04	
	3) भारत का आर्थिक एवं सामाजिक विकास	03	03	
	4) भारतीय राजव्यवस्था एवं भारतीय संविधान	03	03	
	5) सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	03	03	
	6) पर्यावरण पारिस्थितिकी एवं आपदा प्रबन्धन	03	03	
	7) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएँ	05	05	
	8) खेल से संबंधित जानकारी	40	40	
भाग-2	कम्प्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान	15	15	
भाग-3	उत्तर प्रदेश राज्य से सम्बन्धित सामान्य जानकारी	20	20	
योग		100	100	

पाठ्यक्रम

भाग-1

(1) भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन

भारतीय इतिहास के अंतर्गत सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनैतिक पक्षों की जानकारी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन- स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रीयता का अभ्युदय तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के संबंध में सारपरख जानकारी।

(2) भारत एवं विश्व का भूगोल

भारत के भूगोल के अंतर्गत देश के भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, कृषि, बागवानी, वानिकी एवं पशुपालन, जनसंख्या एवं नगरीकरण का प्रारूप, स्मार्ट सिटी एवं स्मार्ट विलेज से सम्बन्धित जानकारी। विश्व भूगोल के बारे में सामान्य जानकारी।

21/07/25

8

9

(3) भारत का आर्थिक एवं सामाजिक विकास

सतत विकास, गरीबी उन्मूलन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र की पहल आदि। उम्मीदवारों का परीक्षण जनसंख्या, पर्यावरण और शहरीकरण के बीच संबंधों और समस्याओं के संबंध में किया जाएगा।

(4) भारतीय राजव्यवस्था एवं भारतीय संविधान

भारत में संवैधानिक विकास, भारतीय संविधान, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन, पंचायतीराज एवं स्थानीय स्वशासन, लोक नीति एवं आधिकारिक मुद्दे तथा सामुदायिक विकास सहित राजनीतिक प्रणाली

के ज्ञान।

(5) सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

सामान्य विज्ञान के प्रश्न दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से सम्बन्धित विषयों सहित विज्ञान के सामान्य परिबोध एवं जानकारी पर आधारित होंगे।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी- विकास एवं राष्ट्रीय सुरक्षा में भारत की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियाँ, प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण। नवीन प्रौद्योगिकियों का विकास, द्विअनुपयोगी एवं तकनीकी उपयोगी प्रौद्योगिकियाँ।

(6) पर्यावरण पारिस्थितिकी तथा आपदा प्रबन्धन

पर्यावरण पारिस्थितिकी, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन पर सामान्य मुद्दों से सम्बन्धित सामान्य जानकारी।

भारत में आपदाएं, आपदा न्यूनीकरण एवं आपदा प्रबन्धन। आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA), राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA), राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) एवं राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) तथा भारत में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य कर रही विभिन्न संस्थाएं।

(7) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएँ

राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर हाल के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों का ज्ञान।

(8) खेल से संबंधित जानकारी

1- व्यायाम शरीर किया विज्ञान

- व्यायाम शरीर किया विज्ञान का परिचय-ऊर्जा प्रणालियाँ, ए०टी०पी० उत्पादन।
- व्यायाम के लिए हृदय परिसंचरण और मांसपेशीय अनुकूलन।
- विभिन्न शारीरिक प्रणालियों पर व्यायाम का प्रभाव-तीव्र बनाम दीर्घकालिक अनुकूलन।
- रिकवरी और थकान प्रबंधन शारीरिक आधार और रणनीतियाँ।

2- खेल मनोविज्ञान

- खेल मनोविज्ञान का परिचय, कोचिंग की परिभाषा, क्षेत्र और महत्वा।
- खेलों में प्रेरणा-एथलीट प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए प्रकार, तकनीकें।
- व्यक्तित्व और खेल प्रदर्शन-खेल सफलता में व्यक्तित्व लक्षण की भूमिका।
- संवेग भय, क्रोध, चिंता, आक्रामकता और तनाव प्रबंधन।

3- खेल प्रशिक्षण

- खेल प्रशिक्षण के सिद्धांत-विशिष्टता, अधिभार, प्रगति, प्रतिवर्तीता।
- प्रशिक्षण घटक- गति, शक्ति, लचीलापन, सहनशक्ति, समन्वय क्षमताएं आदि।

अभिषेक

Ku

8

G

- योजना एवं अवधि निर्धारण-मैक्रो (स्थूल), मेसो और माइक्रो (सूक्ष्म) चक्र।
- प्रतिभा पहचान: सिद्धांत एवं चरण।

4- खेल जैवयांत्रिकी

- जैवयांत्रिकी की आधारभूत अवधारणाएँ- गति, बल, उत्तोलन, खेल में न्यूटन के नियम
- मानव गति में गतिकी और गतिविज्ञान।
- खेल कौशल का जैवयांत्रिकी विश्लेषण-तकनीक सुधार।
- चोट की रोकथाम में जैवयांत्रिकी का अनुप्रयोग।

5- खेल पोषण और योग

- खेल पोषण की मूलभूत अवधारणाएँ-मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, हाइड्रेशन।
- एथलीटों के लिए आहार योजना-पूर्व-प्रतियोगिता, प्रतियोगिता के दौरान और प्रतियोगिता के बाद का पोषण।
- संतुलित आहार।
- खेलों में योगिक अभ्यासों का अनुप्रयोग।

6- खेल चिकित्सा

- खेल चिकित्सा का परिचय क्षेत्र एवं महत्व।
- सामान्य खेल चोटें मोच, खिंचाव, फैक्चर और अतिप्रयोग से होने वाली चोटें।
- खेल में प्राथमिक चिकित्सा और आपातकालीन देखभाल।
- मालिश एवं पुनर्वास।

7- खेलों में संगठन एवं प्रशासन

- खेल संगठन के सिद्धांत संरचनाएं, नीतियाँ और प्रक्रियाएँ।
- खेल में इवेंट प्रबंधन योजना, बजट, क्रियान्वयन।
- सुविधाएँ एवं उपकरण प्रबंधन खरीद, रखरखाव, सुरक्षा।
- खेल प्रशासन में नेतृत्व एवं संचार।

8- परीक्षण, मापन एवं मूल्यांकन

- खेलों में परीक्षण, मापन एवं मूल्यांकन की भूमिका।
- शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण
- विशिष्ट खेलों में कौशल एवं प्रदर्शन परीक्षण।
- शरीर के प्रकार।

9- खेलों में डिजिटल लर्निंग और ए.आई. का अनुप्रयोग

- कोचिंग में डिजिटल उपकरण-वीडियो विश्लेषण एवं ई-लर्निंग प्लेटफार्म।
- खेल प्रदर्शन संवर्द्धन में ए.आई. अनुप्रयोग।
- खेल प्रदर्शन के लिए डेटा प्रबंधन और सांख्यिकीय विश्लेषण।
- खेलों में कम्प्यूटर अनुप्रयोग।

21/07/21

10- अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेल महासंघ/संघ/निकाय, प्रतियोगिताएँ, पुरस्कार और खेल के नियम एवं विनियमन इत्यादि

- अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेल महासंघ/संघ/निकाय
- प्रमुख अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएँ
- भारत में खेल पुरस्कार एवं मान्यताएँ
- अंतरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर पर खेल के नियम एवं विनियमन।
- खेल संबंधित अन्य सभी जानकारी

भाग-2

(कम्प्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान)

- कम्प्यूटर, सूचना तकनीकी, इंटरनेट एवं वर्ल्ड वाइड वेब (WWW) का इतिहास, परिचय एवं अनुप्रयोग।
- निम्नलिखित बिन्दुओं सम्बन्धी सामान्य ज्ञान-
 - हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर
 - इनपुट एवं आउटपुट
 - इंटरनेट प्रोटोकॉल/आईपीओ एड्रेस
 - आईटीडी गैजेट एवं उनका अनुप्रयोग
 - ई-मेल आईडी को बनाना एवं ई-मेल का प्रयोग/संचालन
 - प्रिंटर, टेबलेट एवं मोबाइल का संचालन
 - वर्ड प्रोसेसिंग (MS-Word) एवं एक्सेल प्रोसेसिंग (MS-Excel) के महत्वपूर्ण तत्वा
 - ऑपरेटिंग सिस्टम, सोशल नेटवर्किंग, ई-गवर्नेंस
- डिजिटल वित्तीय उपकरण और अनुप्रयोग।
- भविष्य के कौशल और साइबर सुरक्षा।
- कम्प्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले तकनीकी विकास एवं नवाचार (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्रिग डेटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स) तथा इस क्षेत्र में भारत की उपलब्धियाँ आदि।

भाग-3

(उत्तर प्रदेश राज्य से सम्बन्धित सामान्य जानकारी)

उत्तर प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, कला, वास्तुकला, त्योहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएँ, विरासत, सामाजिक रीति-रिवाज और पर्यटन, भौगोलिक परिदृश्य एवं पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन, वन्यजीव, खान और खनिज, अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यवसाय और रोजगार, राजव्यवस्था एवं प्रशासन, समसामयिक घटनाओं एवं विभिन्न क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश राज्य की उपलब्धियाँ आदि।

21/12/21

Ku

2

9

There will be one question paper in the written examination, which will contain 100 questions and the total time duration will be two hours. The questions of the examination will be objective and multiple-choice type. Each question will be of one mark. There is a provision of negative marking for each wrong answer, which will be 25 percent i.e. $\frac{1}{4}$ of the marks prescribed for that question.

Examination Plan

The parts of examination, subjects, number of questions, total marks and time period will be as per the details given below-

Part	Subject	Number of Questions	Total Marks	Time Period
Part-1	1) History of India and Indian National Movement	04	04	Two Hours (120 Minutes)
	2) Geography of India and World	04	04	
	3) Economic and Social development of India	03	03	
	4) Indian Polity and Indian Constitution	03	03	
	5) General Science and Technology	03	03	
	6) Environmental Ecology and Disaster Management	03	03	
	7) Current Events of National and International Importance	05	05	
	8) Sports-Related Information	40	40	
Part-2	Knowledge of concepts of Computer and Information Technology and contemporary technological development and innovation in this field	15	15	
Part-3	General information related to the State of Uttar Pradesh	20	20	
Total		100	100	

2 point *ku* *s*

Q

SYLLABUS

Part-1

(1) History of India and Indian National Movement

Information on the social, cultural, economic and political aspects of Indian history. The Indian National Movement- A comprehensive information of the freedom movement, the rise of nationalism and the attainment of independence.

(2) Geography of India and World

Information on the country's physical, social and economic geography, agriculture, horticulture, forestry, animal husbandry, population and urbanization patterns, smart cities and smart villages under the geography of India. General information about the world geography.

(3) Economic and Social development of India

Sustainable development, poverty alleviation, demography, social sector initiatives etc. Candidates will be tested on the relationship and problems between population, environment and urbanization.

(4) Indian Polity and Indian Constitution

Knowledge of political system including constitutional development in India, Indian Constitution, Indian political system and governance, Panchayati Raj and local self-government, public policy and official issues and community development.

(5) General Science and Technology

General Science questions will be based on general understanding and knowledge of science, including topics related to everyday experience and observation.

Science and Technology - Application of India's Science and Technology policy in everyday life, development and national security. Achievements of Indians in science and technology, indigenization of technology. Development of new technologies, dual-use and technologically useful technologies.

(6) Environmental Ecology and Disaster Management

General information on general issues related to environmental ecology, biodiversity and climate change.

Disasters in India, disaster mitigation and disaster management. Disaster Management Act-2005, National Disaster Management Authority (NDMA), State Disaster Management Authority (SDMA), National Disaster Response Force (NDRF) and State Disaster Response Force (SDRF) and various agencies working in the field of disaster management in India.

(7) Current Events of National and International Importance

Knowledge of recent important developments at both national and international levels.

2/12/21

ky s

G

(8) Sports-Related Information

1- Exercise Physiology

- Introduction to Exercise Physiology – Energy systems, ATP production.
- Cardiovascular and Muscular Adaptations to Exercise.
- Effects of Exercise on various Physiological Systems – Acute vs. chronic adaptations.
- Recovery and Fatigue Management: Physiological basis and strategies.

2- Sports Psychology

- Introduction to Sports Psychology; Definition, scope, and importance of coaching.
- Motivation in Sports -Types, techniques to enhance athlete performance.
- Personality and Sports Performance – Role of personality traits in sports success.
- Emotions: Management of Fear, Anger, Anxiety, Aggression, and Stress.

3- Sports Training

- Principles of Sports Training – Specificity, overload, progression, reversibility.
- Training Components – Speed, Strength, flexibility, endurance, coordinative Abilities, etc.
- Planning and Periodization – Macro, meso, and micro cycles.
- Talent Identification: Principles and Stages.

4- Sports Biomechanics

- Basic concepts of Biomechanics – Motion, force, levers, Newton's laws in sports.
- Kinematics and Kinetics in human movement.
- Biomechanical Analysis of Sports Skills – Technique improvement.
- Application of Biomechanics in Injury Prevention.

5- Sports Nutrition and Yoga

- Basic concepts of Sports Nutrition – Macronutrients, micronutrients, hydration.
- Diet Planning for Athletes – Pre-competition, during-competition, and post-competition nutrition.
- Balanced Diet.
- Application of Yogic Practices in Sports.

6- Sports Medicine

- Introduction to Sports Medicine: Scope and importance.
- Common Sports Injuries – Sprains, strains, fractures, and overuse injuries.
- First aid and Emergency care in Sports.
- Massage and Rehabilitation.

april *hs* *s*

g

7- Organization and Administration in Sports

- Principles of Sports Organization – Structures, policies, and procedures. • Sports event management: Planning, budgeting, and implementation.
- Facility and Equipment Management: Procurement, maintenance, and safety.
- Leadership and Communication in Sports Administration.

8- Testing, Measurement, and Evaluation

- Role of testing, Measurement, and evaluation in Sports.
- Physical Fitness testing.
- Skill and Performance testing in specific sports.
- Body types.

9- Application of Digital Learning and AI in Sports

- Digital tools in Coaching: Video analysis and e-learning platforms.
- AI applications in enhancing sports performance.
- Data Management and Statistical analysis for Sports performance.
- Computer applications in Sports.

10- International and National sports Federations/Associations/Bodies, Competitions, Awards, and Rules & Regulations etc.

- International and National sports Federations/Associations/Bodies.
- Major International and National sports competitions.
- Sports Awards and Recognitions in India.
- Rules and regulations of Sports at International/National levels.
- All other Sports-related Information.

Part-2

(Knowledge of Concepts of Computer and Information Technology and Contemporary Technological Development and Innovation in this field)

- History, Introduction and Application of Computer, Information Technology, Internet and World Wide Web (WWW).
- General Knowledge related to:
 - Hardware and Software.
 - Input and Output.
 - Internet Protocol/IP Address.
 - IT gadgets and their applications.
 - Creation of e-mail ID and use/operation of e-mail.
 - Operation of Printer, Tablet and Mobile.
 - Important elements of Word Processing (MS-Word) and Excel Processing (MS-Excel).
 - Operating System, Social Networking, e-Governance.

2/20/21

- Digital Financial Tools and Applications.
- Future Skills and Cyber Security.
- Technological Development and Innovation in the field of Computer and Information Technology (Artificial Intelligence, Big Data Processing, Deep Learning, Machine Learning, Internet of Things) and India's achievements in this field etc.

Part-3

(General information related to the State of Uttar Pradesh)

History of Uttar Pradesh, Culture, Art, Architecture, Festivals, Folk Dances, Literature, Regional Languages, Heritage, Social Customs and Tourism, Geographical Landscape and Environment, Natural Resources, Climate, Soil, Forests, Wildlife, Mines and Minerals, Economy, Agriculture, Industry, Business and Employment, Polity and Administration, Current Events and achievements of Uttar Pradesh State in various fields etc.

10-लिखित परीक्षा के सम्बन्ध में विशेष नोट -

विज्ञापन संख्या-22-परीक्षा/2026, खेल निदेशालय मुख्य परीक्षा (प्रा0अ0प0-2025)/22 की लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शार्टलिस्टिंग उनके प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 के नार्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर की जाएगी। प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थियों को [अंतिम कटऑफ अंक तक नार्मलाइज्ड स्कोर (दशमलव के 02 स्थान तक) धारित करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए] लिखित परीक्षा हेतु शार्टलिस्ट किया जायेगा।

यदि परीक्षा एक से अधिक पालियों/ दिवस में आयोजित की जाती है तो अभ्यर्थियों के तुलनात्मक मूल्यांकन हेतु स्कोर के नार्मलाइजेशन की प्रक्रिया दिनांक 22 मई, 2019 को प्रकाशित आवश्यक सूचना संख्या-42/05/विज्ञा0 अनु0 (ग्यारह)/2019 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार होगी।

11-अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश-

- 11.01- उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें।
- 11.02- एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, अनुमन्य होगी।
- 11.03- अभ्यर्थी, जो उ०प्र० राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के माने जाएंगे।
- 11.04- सैन्य वियोजित/भूतपूर्व सैनिकों (Ex-Servicemen) (जो आवेदन की अंतिम तिथि अर्थात् दिनांक 04-11-2026 तक सेवा निवृत्त हो चुके हों) को आरक्षण उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (यथा संशोधित) व अद्यतन सुसंगत नियमावली/शासनादेशों के प्राविधानानुसार अनुमन्य होगा।
- 11.05- उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग (उत्कृष्ट खिलाड़ियों की समूह-ग के पदों पर सीधी भर्ती) नियमावली-2022 व अद्यतन सुसंगत शासनादेशों अंतर्गत आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 11.06- महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
- 11.07- ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित होने का दावा करते हैं, उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके पास उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से दिव्यांग, स्वतंत्रता

2/10/2024

संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 यथा संशोधित के अनुक्रम में जारी शासनादेश दिनांक 21 अप्रैल, 2015 के अनुरूप प्रमाण पत्र उपलब्ध हो।

- 11.08- ऐसे अभ्यर्थी जो शारीरिक रूप से दिव्यांग होने का दावा करते हैं, उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके पास उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक विभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप सं0-5/2022 /18/1/2008/47/का-2/2022, दिनांक 18-04-2022 द्वारा निर्धारित अद्यतन प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र उपलब्ध हो तथा यह कि उक्त प्रमाण पत्र में अभ्यर्थी की दिव्यांगता का प्रकार एवं प्रतिशत स्पष्ट रूप से उल्लिखित हो।
- 11.09- जो अभ्यर्थी केंद्र या राज्य सरकार की सेवा में सेवारत हैं वे अपने सेवायोजक से प्रश्रुत पदों की चयन प्रक्रिया में प्रतिभाग करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त कर लें जिसे आयोग द्वारा मांगे जाने पर यथानिर्दिष्ट विधि से प्रस्तुत करना होगा।
- 11.10- राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों को उ०प्र० शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-2-ई.एम. /2001-का-4-2013, दिनांक 27 अगस्त, 2013 के अनुसार अधिकतम आयु-सीमा में पाँच वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।
- 11.11- मुख्यमंत्री अध्येतावृत्ति के अनुसंधानविदों के लिए आयु सीमा एवं अधिमान में शिथिलीकरण प्रदान करने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-01/2026/06/47-का-2-2026 दिनांक: 30 जनवरी, 2026, लखनऊ द्वारा "उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं (प्रतियोगी परीक्षा हेतु मुख्यमंत्री अध्येतावृत्ति के अनुसंधानविदों के लिए आयु सीमा एवं अधिमान का शिथिलीकरण) नियमावली, 2026" निर्गत की गयी है। तदनुसार मुख्यमंत्री अध्येतावृत्ति के अनुसंधानविदों को उक्त नियमावली में उल्लिखित प्राविधानानुसार आयु सीमा में छूट एवं अधिमान प्रदान किया जायेगा।
- 11.12- अभ्यर्थी के अर्ह / अनर्ह होने के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
- 11.13- उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, दिव्यांग तथा भूतपूर्व सैनिक कोटे के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों को उ०प्र० लोक सेवा (शारीरिक रूप से दिव्यांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित, और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993 (यथासंशोधित) में विद्यमान नियमानुसार उन श्रेणियों में रखा जाएगा, जिनसे वे सम्बन्धित हैं।
- 11.14- राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर महिला आरक्षण के अंतर्गत शासनादेश संख्या-18/1/99/का-2/99, दिनांक 26-02-1999, (यथासंशोधित) कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-39 रिट/का-2 /2019, दिनांक 26 जून, 2019 में विहित व्यवस्थाओं के अनुसार आरक्षण अनुमन्य होगा। महिलाओं को प्रदत्त उक्त आरक्षण मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16-01-2019 के विरुद्ध उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दायर विशेष अपील (डी) संख्या-475/2019 में मा० न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगा। उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों को लम्बवत श्रेणी में उन्ही श्रेणियों में रखा जायेगा जिनसे वे सम्बन्धित हैं, इस हेतु पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
- 11.15- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S) के अंतर्गत आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी, जिसके परिवार की समस्त स्रोतों (वेतन, कृषि, व्यापार व व्यवसाय आदि) से आय आवेदन करने के वर्ष के पूर्व के वित्तीय वर्ष में रुपए 08 लाख से कम है और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (E.W.S) को 10 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने सम्बन्धी उत्तर प्रदेश शासन विधायी अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-1577-79-वि-1-20-1(क)4-20, दिनांक 31 अगस्त, 2020 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश

21/07/2021

Ku

2

P

लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2020 में विहित शर्तों को पूरा करते हैं, को 10% आरक्षण (E.W.S) अनुमन्य होगा। जिन अभ्यर्थियों द्वारा EWS श्रेणी के अंतर्गत आवेदन किया जा रहा है, उनसे अपेक्षित है कि वह आवेदन करने से पूर्व दिनांक 01-04-2026 से 04-11-2026 (आवेदन की अंतिम तिथि) के मध्य निर्गत EWS प्रमाण पत्र, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 की आय पर आधारित हो तथा वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु मान्य हो, को धारित करना सुनिश्चित करें। इस श्रेणी के आवेदकों को उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप सं0-3/2019/4/1/2002/का-2/19टी.सी.-II, दिनांक 14-03-2019 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

- 11.16- हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।
- 11.17- आयु एवं शैक्षिक योग्यता की पुष्टि में अंकपत्र, प्रमाण पत्र, उपाधि की स्वप्रमाणित प्रति को मांगे जाने पर प्रस्तुत किया जाना होगा।
- 11.18- परीक्षा की तिथि, समय तथा परीक्षा केन्द्र आदि के सम्बन्ध में सूचना प्रवेश पत्र के माध्यम से अनुक्रमांक सहित दी जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केंद्र पर ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केंद्र, तिथि व समय में किसी भी दशा में परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। अभ्यर्थी इस सम्बन्ध में अनावश्यक पत्राचार न करें।
- 11.19- आवेदन-पत्र में जन्मतिथि का उल्लेख न करने, अधिवयस्क या अल्पवयस्क होने पर, अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित न करने पर अथवा गलत/मिथ्या सूचना देने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।
- 11.20- किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन-पत्र में गलत तथ्यों को, जिनकी प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती, देने पर आयोग की प्रश्नगत परीक्षा तथा अन्य समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (Debar) किया जा सकता है।
- 11.21- आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा दी गयी सूचनाओं के आधार पर लिखित परीक्षा में औपबन्धिक प्रवेश देगा, किन्तु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाये जाने पर कि अभ्यर्थी द्वारा गलत सूचना दी गयी थी और उसके द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि तक अर्हता धारित नहीं की जाती थी अथवा तत्सम्बन्धित प्रमाण पत्र धारित नहीं किया जाता था अथवा उसका आवेदन प्रारम्भिक स्तर पर स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, तो उक्त स्थिति में उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।
- 11.22- आयोग किसी भी अभ्यर्थी से व्यक्तिगत पत्राचार नहीं करता है। सभी सूचनाएं आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की जाती हैं। अतः सभी परीक्षार्थियों/ अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे विज्ञापन से सम्बन्धित सभी सूचनाओं हेतु नियमित रूप से आयोग की वेबसाइट को देखते रहें।
- 11.23- आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं दिया जाता है, इसलिए अभ्यर्थी को विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए और वह तभी आवेदन करे जब वह संतुष्ट हो जाये कि वह विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप अर्ह है।
- 11.24- यदि अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करने में कोई कठिनाई हो रही है तो आयोग की वेबसाइट <https://upsssc.gov.in> के माध्यम से अथवा किसी भी कार्य दिवस में आयोग कार्यालय में संपर्क कर अपनी कठिनाई/ समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं।
- 11.25- ऐसे पुरुष अभ्यर्थी जो विवाहित हैं तथा जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हैं अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले से ही एक जीवित पत्नी है, पात्र नहीं समझे जाएंगे, बशर्ते कि राज्यपाल महोदय द्वारा उक्त प्रतिबंध से मुक्ति प्रदान न कर दी गई हो।

4/10/2021

- 11.26- क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण के अधीन चयनित अभ्यर्थी जिस श्रेणी का होगा उसे उसी श्रेणी के प्रति समायोजित किया जायेगा।
- 11.27- किसी अशुद्धि, त्रुटि व विरोधाभास आदि की स्थिति में संगत सेवा नियमावली, आरक्षण अधिनियम व एतदर्थ प्रवृत्त शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था मान्य होगी।
- 11.28- कदाशय अर्थात् परीक्षा भवन में नकल करने, अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार तथा अन्य अवांछनीय कार्य करने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इन अनुदेशों की अवहेलना करने पर अभ्यर्थी को इस परीक्षा तथा भविष्य में होने वाली अन्य परीक्षाओं/चयनों से प्रतिवारित (DEBAR) किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा। उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम-2024, दिनांक 06 अगस्त, 2024 के प्राविधान प्रश्रुत परीक्षा में लागू रहेंगे। किसी अनाचार/कदाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, अभियोजन/अपराधिक वाद लंबित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन/चयन के संबंध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाए जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा आयोग की परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (DEBAR) करने का अधिकार आयोग का होगा।
- 11.29- अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन करने की दशा में अन्तिम सबमिट किया गया आवेदन ही स्वीकार होगा। शेष सभी आवेदन निरस्त माने जाएंगे। अभ्यर्थी आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि तक ही अपने आवेदन-पत्र में अनुमन्य विवरण को संशोधित कर सकते हैं। उक्त तिथि के उपरान्त आवेदन-पत्र में किसी भी स्तर पर संशोधन संभव नहीं है एवं इस सम्बन्ध में आयोग से किया जाने वाला कोई भी पत्राचार/प्रत्यावेदन मान्य नहीं होगा।

अभिधी

30.9.26

सचिव,

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,
लखनऊ।

संलग्नक-1

प्रेषक,

निदेशक खेल, उ०प्र०
खेल निदेशालय,
लखनऊ।

सेवा में,

सचिव,

उ०प्र०अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,
पिकप भवन, लखनऊ।

संख्या-आई/१०४१३५/अ०से०च०/स०प्र०/भर्ती दिनांक 14-07-2025

विषय- उपक्रीडाधिकारी के पदों के ई-अध्याचन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बंध में खेल निदेशालय के पत्र संख्या-523/स्था/डी०एस० अधि०/पत्रा० दिनांक 22-5-2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा यह अपेक्षा की गयी थी, कि " उपक्रीडाधिकारी पद से सम्बंधित संशोधित नियमावली, 2016 में उल्लिखित संस्थान क्रमशः नेता जी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला, बंगलोर, कोलकाता, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान त्रिवेन्द्रम, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर हैं। वर्तमान में उक्त संस्थान के अतिरिक्त अन्य की सूचना नहीं है। भविष्य में यदि अन्य संस्थानों की सूचना प्राप्त होती है तो यथासमय प्रेषित कर दी जायेगी।"

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि शासन के पत्र संख्या-आई/1010077/2025, दिनांक 01-7-2025 द्वारा खेल विभाग, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-डी.ओ.स.-70-05/2025/एसपी-टप्प दिनांक 20-06-2025 की छायाप्रति प्रेषित की गयी है, जिसके अनुसार उपरोक्त संस्थानों अतिरिक्त वर्तमान में युवा मामले और खेल मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वाधान में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, इम्फाल भी है। उक्त पत्र की छायाप्रति संलग्न है।
संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

Digitally signed by
RAM SHAKASH SINGH
(डा० आर० सी० सिंह)
Date: 14-07-2025
निदेशक 14/07/2025 15:41

संलग्नक-2

प्रेषक,

निदेशक खेल, उ०प्र०
खेल निदेशालय,
लखनऊ।

सेवा में,

सचिव,
उ०प्र० अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,
पिकप भवन, लखनऊ।

संख्या-आई/2०१273/अ०से०च०/स०प्र०/भर्ती दिनांक 14-07-2025

विषय- सहायक प्रशिक्षक के पदों के ई-अध्याचन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बंध में खेल निदेशालय के पत्र संख्या-524/स्था/स०प्र० अधि०/पत्रा० दिनांक 22-5-2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा यह अपेक्षा की गयी थी, कि "सहायक प्रशिक्षक पद से सम्बंधित संशोधित नियमावली, 2016 में उल्लिखित संस्थान क्रमशः नेता जी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला, बेंगलोर, कोलकाता, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान त्रिवेन्द्रम, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, खालियर है। वर्तमान में उक्त संस्थान के अतिरिक्त अन्य की सूचना नहीं है। भविष्य में यदि अन्य संस्थानों की सूचना प्राप्त होती है तो यथासमय प्रेषित कर दी जायेगी।"

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि शासन के पत्र संख्या-आई/1010077/2025, दिनांक 01-7-2025 द्वारा खेल विभाग, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-डी.ओ.स.-70-05/2025/एसपी-टप्प दिनांक 20-06-2025 की छायाप्रति प्रेषित की गयी है, जिसके अनुसार उपरोक्त संस्थानों अतिरिक्त वर्तमान में युवा मामले और खेल मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वाधान में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, इम्फाल भी है। उक्त पत्र की छायाप्रति संलग्न है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

Digitally signed by
(डा० आर० प्रकाश सिंह)
Date: 14-07-2025
17:58:55

परिशिष्ट-1

प्रारूप-1।

उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
सुपुत्र/सुपुत्री श्री.....निवासी.....ग्राम.....तहसील.....
.....नगर.....जिला.....उत्तर प्रदेश राज्य की
.....जाति के व्यक्ति हैं जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, -1950 (जैसा कि
समय-समय पर संशोधित हुआ) /संविधान (अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के
अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गयी है।
श्री/श्रीमती/कुमारी.....तथा/अथवा उनका पारवार उत्तर प्रदेश
के ग्राम तहसील.....नगर.....जिला.....में
सामान्यतया रहता है।

स्थान

दिनांक

मुहर

हस्ताक्षर.....

पूरा नाम.....

पदनाम.....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त

जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना

मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/अन्य

वेतनभोगी मजिस्ट्रेट, यदि कोई हो/

जिला समाज कल्याण अधिकारी।

परिशिष्ट-2

प्रारूप-1

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
सुपुत्र/सुपुत्री श्री.....निवासी.....ग्राम तहसील.....
.....नगर.....जिला.....उत्तर प्रदेश राज्य की
.....पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-एक के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
पूर्वोक्त अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-दो जैसा कि 30प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम-2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो 30प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरंतर तीन वर्ष की अवधि के लिए सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथाविहित छूट सीमा से अधिक संपत्ति भी नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी.....तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश
के ग्राम.....तहसील.....नगर.....जिला.....में
सामान्यतया रहता है।

स्थान

दिनांक

मुहर

हस्ताक्षर.....

पूरा नाम.....

पदनाम.....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त

जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना

मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

परिशिष्ट-3

कार्यालय-नाम संख्या-M/2019/A/V/2002/एच-2/19टी.सी.आ. दिनांक 14 मार्च 2019 का संलग्नक

(प्रपत्र- 1)

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्यालय का नाम.....

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या.....

दिनांक.....

वित्तीय वर्ष के लिए मान्य

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी

पुत्र/पति/पुत्री ग्राम/कस्बा.....

पोस्ट ऑफिस थाना

तहसील जिला राज्य

पिन कोड..... के स्थायी निवासी है, जिनका फोटोग्राफ नीचे अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख (आठ लाख रुपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं है:-

- I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर।
- II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट।
- III. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
- IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी जाति के

सदस्य हैं, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं है।

अपेक्षित फर कारस्टेड आईडेंट एवं
अभिप्रमाणित फोटोग्राफ

हस्ताक्षर (कार्यालय का मुहर सहित)

पूरा नाम

पदनाम

जिलाधिकारी/ अतिरिक्त जिलाधिकारी/ सिटी
मजिस्ट्रेट/ परगना मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार।

परिशिष्ट-4

कार्यालय-नाप संख्या-3/2019/4/1/2002/का-2/19टी.सी.-II, दिनांक 14 मार्च, 2019 का संलग्नक

(प्रपत्र- II)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थ स्वयं घोषणा पत्र

स्वयं घोषणा पत्र

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी
ग्राम/कस्बा पोस्ट ऑफिस
थाना ब्लॉक तहसील
जिला राज्य ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के
प्रमाण पत्र हेतु आवेदन दिया है, एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ :-

1. मैं जाति से सम्बन्ध रखता/रखती हूँ, जो उत्तर प्रदेश हेतु
अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सूचीबद्ध नहीं है।
2. मेरे परिवार की कुल श्रोतों (बेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा इत्यादि) से कुल वार्षिक आय
रु (शब्दों में) है।
3. मेरे परिवार के पास उल्लिखित आय के सिवाय अथवा इसके अतिरिक्त अन्यत्र कोई
परिसम्पत्ति नहीं है।

अथवा

कई स्थानों पर स्थित परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात भी मैं (नाम) आर्थिक
रूप से कमजोर वर्ग के दायरे में आता/आती हूँ।

4. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे परिवार की सभी परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात्
निम्नलिखित में से किसी भी सीमा से अधिक नहीं है-

- I 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर।
- II एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट।
- III अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय
भूखण्ड।
- IV अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है
और मैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता धारण करता/करती हूँ। यदि
मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/गलत पायी जाती है तो मैं पूर्ण रूप में जानता हूँ/ जानती हूँ कि इस
आवेदन पत्र के आधार पर दिये गये प्रमाण पत्र के द्वारा शैक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश/लोक सेवाओं एवं
पदों में प्राप्त की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी/कर दिया जायेगा अथवा इस प्रमाण पत्र के आधार पर कोई
अन्य सुविधा/लाभ प्राप्त किया गया है उससे भी वंचित किया जा सकेगा और इस सम्बन्ध में विधि एवं नियमों
के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

नोट:- जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर तथा पूरा नाम।

स्थान :-

दिनांक :-

परिशिष्ट-5

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के प्रमाण-पत्र का प्रपत्र

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती-----नियोजी ग्राम-----
-----तहसील-----नगर-----
जिला-----"उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993" के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री/श्रीमती/कुमारी (आश्रित) -----पुत्र/पुत्री/पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्र (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपरोक्त अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) -----
--के आश्रित हैं।

स्थान-

दिनांक-

हस्ताक्षर-----

पूरा नाम-----

पदनाम-----

मुहर-----

जिलाधिकारी (सील)

परिशिष्ट-6

दिव्यांगता प्रमाण पत्र सम्बन्धी प्रारूप

FORM-1

Application for Obtaining Certificate of Disability by Persons with Disabilities

- (1) Name : _____
(Surname) (First Name) (Middle Name)
- (2) Father's Name : _____ Mother's Name: _____
- (3) Date of Birth : _____ / _____ / _____
(Date) (Month) (Year)
- (4) Age at the time of application : _____ years
- (5) Sex: Male/Female/Transgender _____
- (6) Address:
(a) Permanent address (b) Current Address (i.e. for communication)

(c) Period since when residing at current address _____
- (7) Educational Status (please tick as applicable)
- (i) Post Graduate
 - (ii) Graduate
 - (iii) Diploma
 - (iv) Higher Secondary
 - (v) High School
 - (vi) Middle
 - (vii) Primary
 - (viii) Non-literate
- (8) Occupation _____
- (9) Identification marks (i) _____ (ii) _____
- (10) Nature of disability :
- (11) Period since when disabled: From Birth//since year _____
- (12)(i) Did you ever apply for issue of a certificate of disability in the past ____ yes/no
- (ii) If yes, details:
- (a) Authority to whom and district in which applied _____
- (b) Result _____ of _____ application
- (13) Have you ever been issued a certificate of disability in the past? If yes, please enclose a true copy.

Declaration: I hereby declare that all particulars stated above are true to the best of my knowledge and belief, and no material information has been concealed or misstated. I further state that if any inaccuracy is detected in the application, I shall be liable to forfeiture of any benefits derived and other action as per law.

(signature or left thumb impression of person with disability, or of his/her legal guardian in case of persons with intellectual disability, autism, cerebral palsy and multiple disabilities, etc)

Date :

Place:

Enclosures:

1. Proof of residence (Please tick as applicable).
 - (a) ration card,
 - (b) voter identity card,
 - (c) driving license,
 - (d) bank passbook,
 - (e) PAN card,
 - (f) passport,
 - (g) telephone, electricity, water and any other utility bill indicating the address of the applicant,
 - (h) a certificate of residence issued by a Panchayat, municipality, cantonment board, any gazetted officer, or the concerned Patwari or Head Master of a Government school,
- (i) in case of an inmate of a residential institution for persons with disabilities, destitute, mentally ill, and other disability, a certificate of residence from head of such institution.
2. Two recent passport size photographs

(For office use only)

Date:

Place:

Signature of issuing authority
Stamp

परिशिष्ट-7

Form-II Certificate of Disability

(In cases of amputation or complete permanent paralysis of limbs or dwarfism and in case of blindness)

(Name and Address of the Medical Authority issuing the Certificate)

Recent passport size
attested photograph
(Showing face only)
of the person with
disability.

Certificate No. _____

Date: _____

This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt./Kum. _____
son/wife/daughter of Shri _____ Date of Birth _____
(DD/MM/YY) _____ Age _____ years, male/female _____ registration No. _____
_____ permanent resident of House No. _____ Ward/Village/Street _____
_____ Post Office _____ District _____ State _____,
whose photograph is affixed above, and am satisfied that:

(A) he/she is a case of:

- locomotor disability
- dwarfism
- blindness

(Please tick as applicable)

(B) the diagnosis in his/her case is _____

(A) he/she has _____ % (in figure) _____ percent (in words) permanent locomotor disability/dwarfism/blindness in relation to his/her _____ (part of body) as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified).

2. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Nature of Document	Date of Issue	Details of authority issuing certificate .

3. Signature and seal of the Medical Authority.

(Dr. _____)

Member
Medical Board with seal

(Dr. _____)

Member
Medical Board with seal

(Dr. _____)

Chairperson
Medical Board with seal

Countersigned by the
Chief Medical Officer
(with seal)

Signature/thumb
impression of the person in
whose favour certificate of
disability is issued

परिशिष्ट-8

Form - III Certificate of Disability (In cases of multiple disabilities)

(Name and Address of the Medical Authority/Board issuing the Certificate)

Recent passport size
attested photograph
(Showing face only)
of the person with
disability.

Certificate No. _____

Date: _____

This is to certify that we have carefully examined Shri/Smt./Kum.
_____ son/wife/daughter of Shri
_____ Date of Birth (DD/MM/YY) _____ Age
_____ years, male/female _____.

Registration No. _____ permanent resident of House No. _____
Ward/Village/Street _____ Post Office _____ District _____ State
_____, whose photograph is affixed above, and am satisfied that:

(A) he/she is a case of Multiple Disability. His/her extent of permanent physical impairment/disability has been evaluated as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified) for the disabilities ticked below, and is shown against the relevant disability in the table below:

S. No	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical impairment/mental disability (in %)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy cured			
4.	Dwarfism			
5.	Cerebral Palsy			
6.	Acid attack Victim			
7.	Low vision	#		
8.	Blindness	#		
9.	Deaf	£		
10.	Hard of Hearing	£		
11.	Speech and Language disability			
12.	Intellectual Disability			
13.	Specific Learning Disability			
14.	Autism Spectrum Disorder			
15.	Mental illness			
16.	Chronic Neurological Conditions			

17.	Multiple sclerosis			
18.	Parkinson's disease			
19.	Haemophilia			
20.	Thalassemia			
21.	Sickle Cell disease			

(B) In the light of the above, his/her over all permanent physical impairment as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified), is as follows :-

In figures :- percent

In words :- percent

2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.

3. Reassessment of disability is :

(i) not necessary,

or

(ii) is recommended/after years months, and therefore this certificate shall be valid till ---- ----

(DD) (MM) (YY)

@ e.g. Left/right/both arms/legs

e.g. Single eye

£ e.g. Left/Right/both ears

4. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Nature of document	Date of issue	Details of authority issuing certificate

5. Signature and seal of the Medical Authority.

Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson

Countersigned by the
Chief Medical Officer
(with seal)

Signature/thumb
impression of the person
in whose favour
certificate of disability is
issued

परिशिष्ट-9

Form -IV

Certificate of Disability

(In cases other than those mentioned in Forms II and III)

(Name and Address of the Medical Authority/Board issuing the Certificate)

Recent passport size
attested photograph
(Showing face only) of
the person with
disability.

Certificate No. _____

Date: _____

This is to certify that I have carefully examined

Shri/Smt/Kum. _____ son/wife/daughter of Shri

_____ Date of Birth (DD/MM/YY) _____

Age _____ years, male/female _____ Registration No. _____

permanent resident of House No. _____ Ward/Village/Street _____

Post Office _____ District _____ State _____

whose photograph is affixed above, and am satisfied that he/she is a case of _____ disability. His/her extent of percentage physical

impairment/disability has been evaluated as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified) and is shown against the relevant disability in the table below:-

S. No	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical impairment/mental disability (in %)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy cured			
4.	Cerebral Palsy			
5.	Acid attack Victim			
6.	Low vision	#		
7.	Deaf	€		
8.	Hard of Hearing	€		
9.	Speech and Language disability			
10.	Intellectual Disability			
11.	Specific Learning Disability			
12.	Autism Spectrum Disorder			
13.	Mental illness			
14.	Chronic Neurological Conditions			
15.	Multiple sclerosis			
16.	Parkinson's disease			
17.	Haemophilia			
18.	Thalassemia			
19.	Sickle Cell disease			

(Please strike out the disabilities which are not applicable)

2. The above condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.

3. Reassessment of disability is:

(i) not necessary, or

(ii) is recommended/after _____ years _____ months, and therefore this certificate shall be valid till (DD/MM/YY) _____

@ - eg. Left/Right/both arms/legs

- eg. Single eye/both eyes

€ - eg. Left/Right/both ears

4. Signature and seal of the Medical Authority.

Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson

Countersigned by the
Chief Medical Officer
(with seal)

Signature/thumb
impression of the person
in whose favour
certificate of disability is
issued